डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-09, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

10 सितंबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

अतिरिक्त 60,800 मीट्रिक टन यूरिया आबंटन से फसल सुरक्षित, किसानों में प्रसन्नता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के किसानों को खरीफ सीजन में बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार ने प्रदेश के लिए सितंबर माह में 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का अतिरिक्त आबंटन स्वीकृत किया है। इसमें 58,100 मीट्रिक टन स्वदेशी और 2,700 मीट्रिक टन आयातित यूरिया शामिल है। आबंटित यूरिया में से लगभग 20 हजार मीट्रिक टन प्रथम सप्ताह, 35 हजार मीट्रिक टन अगले 15 दिनों में और शेष मात्रा माह के अंत तक आपूर्ति कर दी जाएगी।

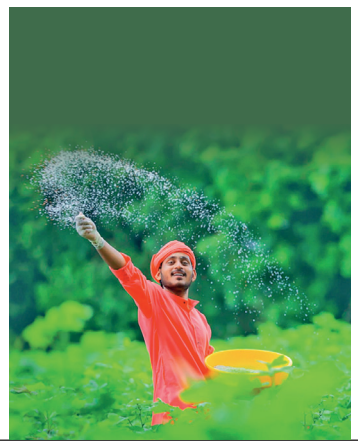

खरीफ में बेहतर वितरण

इस सीजन में अब तक 6.39 लाख टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 6.17 लाख टन था। इस बार की बेहतर आपूर्ति व्यवस्था किसानों को बड़ी राहत दे रही है।

नैनो खाद की भी पर्याप्त उपलब्धता

सहकारी व निजी क्षेत्र में कुल 2.91 लाख बॉटल नैनो यूरिया और 2.38 लाख बॉटल नैनो डीएपी का भंडारण किया गया है। अब तक किसानों को 2.32 लाख बॉटल नैनो यूरिया और 1.85 लाख बॉटल नैनो डीएपी वितरित किए जा चुके हैं।

नैनो खाद	भंडारण	वितरण
नैनो यूरिया	2.91 लाख बॉटल	2.32 लाख बॉटल
नैनो डीएपी	2.38 लाख बॉटल	1.85 लाख बॉटल

किसानों की सुविधा हमारी जिम्मेदारी

"मेरी पहल पर भारत सरकार से सितंबर माह के लिए छत्तीसगढ़ को 60,800 मीट्रिक टन यूरिया का आबंटन स्वीकृत हुआ है। चरणबद्ध आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिससे खरीफ फसलें सुरक्षित रहेंगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसानों को किसी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।"

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

स्त्रोत : https://dprcg.gov.in/

मेड इन इंडिया चिप्स

स्वर्णिम भारत की नई पहचान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रचा है। Semicon India 2025 सम्मेलन में देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर 'विक्रम' लॉन्च हुआ। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया।

स्वास्थ्य क्रांति

मासूम को मिला नया जीवन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में बीजापुर की 11 वर्षीय शांभवी गुरला, जो रियूमेटिक हार्ट डिजीज (RHD) से पीड़ित है, को नया जीवन मिला। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की पीड़ा सुनकर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तुरंत रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट में इलाज का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि खर्च की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।

सबके साथ खड़ी है साय सरकार

बाढ़ प्रभावितों के बीच हवाई व जमीनी सर्वे, 115 करोड़ की क्षति, हर संभव मदद का भरोसा

भारी बारिश और बाढ़ से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा व बस्तर जिले में आई तबाही ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। कहीं घर बह गए, कहीं खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं, तो कहीं बच्चों की किताबें और महिलाओं की गृहस्थी का सामान पानी में समा गया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय दंतेवाड़ा के चूड़ीटिकरापारा राहत शिविर पहुँचे। उन्होंने एक-एक परिवार से मिलकर हालचाल पूछा और भरोसा दिलाया कि "आप अकेले नहीं हैं, पूरी सरकार आपके साथ है।" मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात की, बुजुर्गों का हाल जाना और महिलाओं को आश्वस्त किया कि शिविरों में भोजन, पानी, इलाज और रहने की पूरी व्यवस्था लगातार जारी रहेगी।

स्वास्थ्य शिविर में चिंता और देखभाल

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। डॉक्टरों और नर्सों से बातचीत कर यह सुनिश्चित किया कि दवाइयों की कमी न हो। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जलजनित बीमारियाँ न फैलें, इसके लिए प्रशासन हर गाँव और शिविर में पेयजल का क्लोरीनेशन करे। लोग बीमार न पड़ें, यही सबसे बड़ी राहत है।

सोमड़ी की आँखों में आँसू

चूड़ीटिकरापारा की सोमड़ी सोढ़ी मुख्यमंत्री से मिलते ही भावुक हो उठीं। उनका घर बाढ़ में डूब गया, घर का सामान नष्ट हो गया। लेकिन सरकार से मिली राहत सामग्री और शिविर में मिल रही देखभाल ने उन्हें हिम्मत दी। कहा "हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं।"

पूनम की पढ़ाई में नई रोशनी

बाढ़ में किताबें और टैबलेट बह जाने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पूनम पटेल बेहद चिंतित थीं। मुख्यमंत्री से मुलाकात में उनकी चिंता सुनकर श्री साय ने तत्काल पुस्तकें और नया टैबलेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जब पूनम को नया टैबलेट और किताबें मिलीं तो उनके चेहरे पर लौट आई।

लुत्ती डैम हादसा

बलरामपुर जिले में लुत्ती (सतबहिनी) डैम टूटने से 4 की मौत, 3 घायल और 3 लापता। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त कर जिला प्रशासन को राहत-बचाव कार्य तेज करने और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता के निर्देश दिए।

करमा तिहार

संस्कृति संग सशक्तिकरण

नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग द्वारा आयोजित करमा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि करमा तिहार हमारी संस्कृति व परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो समाज को जोड़ने और बेटियों के मंगल जीवन की कामना का पर्व है। आदिवासी समाज के योगदान, ट्राइबल म्यूजियम, पीएम जनमन योजना समाज के सशक्तिकरण व युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई।

नक्सल उन्मूलन

सीएम का अमित शाह से मुलाकात

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात कर नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक 453 माओवादी मारे गए, 1616 गिरफ्तार हुए और 1666 ने आत्मसमर्पण किया है। प्रदेश में 65 नए सुरक्षा कैंप स्थापित हुए हैं। सड़क, पुल-पुलिया और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने बस्तर बाढ़ राहत व पुनर्वास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

ऊर्जा क्रांति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में संयुक्त पावर कंपनीज मुख्यालय भवन का किया शिलान्यास

छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट से अब मुफ्त बिजली की ओर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों के संयुक्त मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत मौलश्री का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में जो छलांग लगाई है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। वर्ष 2000 में प्रदेश महज 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था, आज यह क्षमता बढ़कर 30 हजार मेगावाट हो गई है।

संयुक्त मुख्यालय भवन की विशेषताएँ

- क्षेत्रफल : 10,017 वर्ग मीटर
- क्षमता : 1300 कर्मचारियों के लिए

सुविधाएँ

- 210 सीटों का प्रेक्षागृह
- कर्मचारियों के लिए जिम
- ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
- दो मंजिला बेसमेंट पार्किंग व मैकेनिकल स्टैक पार्किंग
- मानक - बीईई फाइव स्टार और गृहा फाइव स्टार ग्रीन रेटिंग
- संचालन - पूर्णतः भवन प्रबंधन प्रणाली आधारित

स्त्रोत : https://dprcg.gov.in/

आदि कर्मयोगी अभियान

सशक्त होगा जनजातीय समाज

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आदि कर्मयोगी अभियान देश की आज़ादी के बाद पहली बार जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का व्यापक प्रयास है। यह अभियान 30 राज्यों, 550 जिलों और 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे सेवा पर्व का रूप देते हुए कहा कि यह शासन और समाज को जोड़ने वाला पुल है। छत्तीसगढ़ में 1.33 लाख से अधिक वालंटियर्स घर-घर जाकर योजनाओं का लाभ दिलाएंगे।

पिक ऑफ द वीक

धारपारूम (कांकेर)

कांकेर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पीढ़ापाल के समीप स्थित धारपारूम, जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। यहां घाटीनुमा संरचना के साथ-साथ प्राकृतिक झरना, गुफा तथा पुरातात्विक महत्व के शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं। ग्रामीणों की सहभागिता से यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।

छत्तीसगढ़ संदर्भ

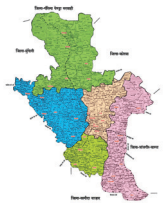

बिलासपुर जिला

- **भौगोलिक क्षेत्र**: 347561 वर्ग किलोमीटर
- **कुल विधानसभा सीट** : 6 (कोटा, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तुरी (अजा))
- **तहसील की संख्या** : 12 (कोटा, तखतपुर, पचपेड़ी, बेलगहना, बेलतरा, बिल्हा, बिलासपुर, बोदरी, मस्तूरी, रतनपुर, सकरी, सीपत)
- **विकासखण्ड** : 4 (बिल्हा, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी)
- **जनपद पंचायत** : 4 (बिल्हा, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी)
- **नगर पंचायत**: 4 (बिल्हा, कोटा, बोदरी, मल्हार)
- **नगर पालिका परिषद** - 2 (तखतपुर, रतनपुर)
- **नगर निगम** : 1 (बिलासपुर)
- **ग्राम पंचायत**: 483

स्त्रोत : https://bilaspur.gov.in/

6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर बनेगा आईटी हब

स्टील और ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योग शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से निवेश का नया गढ़ बन रहा है। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य को अब तक 6.65 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें स्टील और ऊर्जा के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योग भी शामिल हैं।

विदेश दौरे से बढ़ा निवेश

अफसरों के साथ जापान और साउथ कोरिया में निवेशकों से मिले। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों पर विशेष फोकस रहा। मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के बाद अब विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की पहल ने राज्य को नई पहचान दी है।

सेक्टरवार निवेश प्रस्ताव (करोड़ रुपए में)

सेक्टर	प्रस्ताव	निवेश राशि
स्टील सेक्टर	24	96,397.77
ऊर्जा सेक्टर	17	72,494.01
इलेक्ट्रॉनिक्स	05	12,405.74
ग्रीन हाइड्रोजन	01	9,000.00
सीमेंट	02	4,167.00
कम्प्रेस्ड बायो गैस	03	3,519.00
आईटी एवं आईटीईएस	03	1,964.75
फूड प्रोसेसिंग	02	1,175.00
एथेनॉल	02	780.70

सेमीकंडक्टर यूनिट

पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ने नवा रायपुर में 11 हजार करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट और डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया है। कंपनी ने 2030 तक हर साल 10 अरब चिप्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

रोजगार के अवसर

अब तक मिले निवेश प्रस्तावों से 65,193 युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। जिन उद्योगों को इन्वेस्ट पत्र दिया गया है, वहां 63,751 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा।

ऊर्जा सेक्टर में बड़ा निवेश

सबसे अधिक निवेश ऊर्जा सेक्टर में हुआ है, जहां 3.01 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें न्यूक्लियर थर्मल, सोलर, पीएम कुसुम योजना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

स्त्रोत : https://dprcg.gov.in/

राज्य स्तरीय रोजगार मेला 9 एवं 10 अक्टूबर को रायपुर में

छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य स्तरीय रोजगार मेला 9-10 अक्टूबर को रायपुर में होगा। विभागीय वेबसाइट https://erojgar.cg.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है। जिंदल स्टील, एयरटेल पेमेंट बैंक, रिलायंस निप्पोन, कॉसमॉस मैनपावर सहित अनेक कंपनियाँ इसमें शामिल होंगी। 5वीं पास से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए वितरक बॉय, बैंक सहायक, फार्मासिस्ट, ऑपरेटर, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य पद उपलब्ध रहेंगे। रोजगार अवसर छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व अन्य राज्यों में भी उपलब्ध रहेंगे।

रेलवे में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर भर्ती, आवेदन 29 सितंबर तक

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 2865 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पदों में फिटर (843), इलेक्ट्रीशियन (727), वेल्डर (367), सीओपीए (316) सहित अन्य ट्रेड शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं/12वीं पास और आईटीआई अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष है, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 1123 पदों पर भर्ती, आवेदन 11 सितंबर तक

बीएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल (रेडियो ऑपरेटर व रेडियो मैकेनिक) के 1121 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 12वीं में 60% अंक या 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष की आईटीआई रखी गई है। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18-25 वर्ष है, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डिक्टेशन व मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। अन्य भत्ता सहित वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये प्रतिमाह रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग में 100 पदों पर भर्ती, 24 सितंबर तक आवेदन

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में वार्ड ब्वॉय और वार्ड आया के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए व्यापमं से ऑनलाइन आवेदन 24 सितंबर शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। कुल 100 पदों में 50 वार्ड ब्वॉय और 50 वार्ड आया के लिए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है। यह भर्ती राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर सहित कांकेर, कोंडागांव, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और जशपुर के लिए होगी। विस्तृत जानकारी व्यापमं की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जॉब अलर्ट

ईएसआईसी
पदः असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्याः 243
अंतिम तिथिः 15 सितंबर
www.esic.gov.in

दिल्ली अधीनस्थ सेवा
पदः नॉन-टीचिंगभर्ती
पद संख्याः 615
अंतिम तिथिः 16 सितंबर तक
www.dsssb.delhi.gov.in

IGI
पदः एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ व लोडर्स
पद संख्याः 1446
अंतिम तिथिः 21 सितंबर
igiaviationdelhi.com

BSSC
पदः ऑफिस अटेंडेंट
पद संख्याः 3727
अंतिम तिथिः 21 सितंबर
bssc.bihar.gov.in

CCRAS
पदः एलडीसी सहित अन्य
पद संख्याः 394
अंतिम तिथिः 22 सितंबर
ccras.nic.in

बीपीएससी
पदः सहायक शिक्षा विकास अधिकारी
पद संख्याः 935
अंतिम तिथिः 26 सितंबर
bpsc.bihar.gov.in

राजस्थान केंद्रीय विवि
पदः टीचिंग
पद संख्याः 18
अंतिम तिथिः 30 सितंबर
www.curaj.ac.in

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

बस्तर में 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में मंत्रालय महानदी भवन में ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। चिकित्सा शिक्षा विभाग और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच हुए इस करार के तहत बस्तर में 200 करोड़ रुपये की लागत से 240 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तरवासियों और नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को इलाज के लिए रायपुर-बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। यह 10 मंजिला अस्पताल कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसी सेवाओं से सुसज्जित होगा।

महाराजा चक्रधर ने संगीत को दिलाई वैश्विक पहचान, समारोह का समापन,

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ में चक्रधर समारोह के समापन अवसर पर कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने कला-संगीत महाविद्यालय शीघ्र शुरू होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना, नई उद्योग नीति और रोजगार सृजन सहित सरकार की उपलब्धियाँ गिनाईं। मंच से पद्मश्री कैलाश खेर की प्रस्तुति का आनंद लिया गया। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह पर विशेष आवरण का विमोचन हुआ और रायगढ़ नगर पालिका निगम के शुभंकर "अप्पू राजा" का लॉन्च किया गया। कथक कलाकार डॉ. नलिनी, डॉ. कमलिनी अस्ताना को सम्मानित किया गया।

रायपुर की प्रथम महिला विधायक रजनीताई का निधन

रायपुर की प्रथम महिला विधायक रजनीताई उपासने का रायपुर में निधन हो गया। उनका पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और कार्यों से जुड़ा हुआ है। श्रीमती उपासने ने आपातकाल के दौरान भूमिगत आंदोलन का सफल संचालन किया। वर्ष 1977 में वह जनता पार्टी से पहली बार रायपुर शहर की विधायक चुनी गई थीं।

वरिष्ठ स्वयंसेवक श्री शांताराम सर्राफ का निधन

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांत प्रचारक एवं वरिष्ठ स्वयंसेवक श्री शांताराम सर्राफ जी के निधन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सर्राफ जी का संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन तथा प्रेरणा का अद्वितीय उदाहरण रहा है। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा।

डॉ. रीता शांडिल्य को नियुक्त किया पीएससी का पूर्णकालिक अध्यक्ष

राज्य शासन ने डॉ. रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब तक वे सीजी पीएससी में सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी संभाल रही थीं। डॉ. शांडिल्य ने 13 जून 1988 को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राजनांदगांव से अपनी सेवाएँ प्रारंभ की थीं। आईएएस अवार्ड मिलने के बाद वे बेमेतरा की कलेक्टर और सरगुजा में संभागीय आयुक्त रहीं। मंत्रालय में उन्होंने सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), सहकारिता विभाग, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों की ज़िम्मेदारी संभाली।

महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी, 69 लाख महिलाओं को मिला लाभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त के तहत प्रदेश की 69,15,994 महिलाओं के बैंक खातों में 647.13 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई इस योजना के तहत अब तक कुल 12,376.19 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों तक पहुँचाई जा चुकी है।

शिक्षक दिवस पर 64 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान

राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम् में शिक्षक दिवस पर 64 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता बताते हुए शिक्षा को विकास का मूलमंत्र कहा। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को गेम चेंजर बताते हुए मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया। इस अवसर पर डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुक्तिबोध, मुकुटधर पांडेय और बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार भी उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रदान किए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2025 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजनांदगांव में शुरू हुई निशुल्क नीट-जेईई कोचिंग

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिला प्रशासन ने 684 मेधावी विद्यार्थियों के लिए दो वर्षीय निशुल्क नीट-जेईई कोचिंग की ऐतिहासिक पहल की है। इसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और सांसद श्री संतोष पांडेय की उपस्थिति में हुआ। जिला प्रशासन ने इसके लिए फिजिक्स वाला और भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से करार किया है। कक्षाएँ प्रत्येक शनिवार-रविवार चार घंटे की होंगी और अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

रजत जयंती वर्ष में 4000 पंचायतों में शुरू होंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे ओवरब्रिज सहित 66.84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर 20 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा भी की। खरसिया के कबीर चौक से डभरा रोड तक बाईपास सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल सहित अन्य सुविधाओं की मरम्मत के लिए 2 करोड़ तथा खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये की घोषणा शामिल है। पंचायत स्तर पर भी अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग और शासकीय सेवाएँ गांव-गांव तक पहुँच रही हैं। 1460 पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, उन्होंने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष के दौरान 4000 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जाएंगे।

राष्ट्रीय

राम गोपाल 90 डिग्री उत्तर ध्रुव पर पूर्ण मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय

90 डिग्री उत्तर ध्रुव पर, जहाँ हर दिशा दक्षिण होती है और जमी हुई आर्कटिक महासागर 'जमीन' का रूप ले लेती है, वहाँ भारतीय तिरंगा लहराया गया। 13 जुलाई 2025 को, कोलकाता में जन्मे उद्यमी और साहसी यात्री राम गोपाल कोठारी पहले भारतीय बने जिन्होंने भौगोलिक उत्तर ध्रुव पर पूर्ण मैराथन पूरा किया। धरती के सबसे कठिन दौड़-पथों में से एक यह मैराथन 3 मीटर गहरी बर्फीली परतों पर आयोजित होता है, जिसके नीचे समुद्र होता है। यह आयोजन वर्ष में केवल एक बार किया जाता है।

उर्जित पटेल आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ में एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर तीन साल तक काम करेंगे। वह के.वी. सुब्रमण्यम की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम की सेवाएँ सरकार ने उनका कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले समाप्त कर दी थीं।

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जून के 1.5% से बढ़कर जुलाई में 3.5%

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जुलाई में बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो चार महीने का उच्चतम स्तर है, जबकि जून में यह 1.5% थी। विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई। देश के औद्योगिक उत्पादन में इससे पहले मार्च 2025 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। देश के औद्योगिक उत्पादन में इससे पहले मार्च 2025 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

दिनेश पटनायक बने कनाडा के उच्चायुक्त

वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। यह पद पिछले नौ महीनों से खाली था।

दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त

वरिष्ठ राजनयिक दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी मित्तल वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे।

मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ेगा 13 सितंबर को उद्घाटन

मिजोरम पहली बार देश के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। बैराबी-सैरांग रेल लाइन पूरी होने को है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्वोत्तर के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों से गुज़री है। 12 किलोमीटर में 48 सुरंगें और 142 पुल बनाए गए हैं। इस लाइन से गुवाहाटी-आइज़ोल की यात्रा 18 घंटे से घटकर 12 घंटे की रह जाएगी।

एयर मार्शल संजीव घुराटिया IAF के रखरखाव प्रमुख नियुक्त

एयर मार्शल संजीव घुराटिया एवीएसएम, वीएसएम ने भारतीय वायु सेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस (AOM) का पदभार संभाल लिया है। 37 वर्षों की सेवा में उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व का परिचय दिया है। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जीईसी जबलपुर, बिट्स पिलानी और भोपाल यूनिवर्सिटी से शिक्षित घुराटिया कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन कांगो में भी उत्कृष्ट सेवा दी थी। सेवा के दौरान उन्हें विशिष्ट सेवा पदक (2016) और अति विशिष्ट सेवा पदक (2025) से सम्मानित किया गया।

भारत में शुरू हुआ पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम

भारत ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह तकनीक वाहनों को बिना रुके टोल पार करने की सुविधा देगी। प्रणाली का पहला क्रियान्वयन गुजरात के चोर्यासी शुल्क प्लाज़ा (NH-48) पर किया गया है। FASTag और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) आधारित यह प्रणाली जाम, समय और प्रदूषण कम करेगी तथा राजस्व संग्रह में पारदर्शिता लाएगी। NHAI और IHMCL ने 30 अगस्त 2025 को आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगले वित्त वर्ष में इसे 25 और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जाएगा।

राजस्थान ऑन-डिमांड परीक्षा कराने वाला पहला राज्य होगा

अगर आप स्टेट ओपन या देश के किसी भी अन्य बोर्ड की परीक्षा में असफल हो गए हैं तो अब आपका एक साल खराब नहीं होगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब ऐसे विद्यार्थियों को उसी साल उत्तीर्ण होने का मौका देने के लिए ऑन-डिमांड एग्ज़ाम की नई प्रणाली लेकर आया है। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहाँ ऑन-डिमांड परीक्षा आयोजित की जाएगी। सितंबर में पहली बार इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसके बाद अक्टूबर में पहली बार ऑन-डिमांड परीक्षा का आयोजन होगा। आगे जनवरी और मार्च में भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।

पासपोर्ट रैंकिंग में भारत ने लगाई 4 पायदान की छलांग

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 58 देशों में वीजा-फ्री पहुंच के साथ भारत अब 76वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछले साल यह 80वें स्थान पर था। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन के कई देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगा। वहीं, अमेरिका की स्थिति गिरी है और उसका पासपोर्ट आइसलैंड व लिथुआनिया के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग दुनियाभर के पासपोर्ट की ताकत और वैश्विक गतिशीलता को दर्शाती है।

अंतरराष्ट्रीय

"ISS पर दिखा रहस्यमयी 'ब्लू जेट', NASA एस्ट्रोनॉट ने साझा की तस्वीर

ISS Astronauts: International Space Station पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने दो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी नीले जेट को देखा है। यह धरती के वायुमंडल से ऊपर की तरफ उड़ती हुई एक बड़ी बिजली का जेट है। यह बिजली की घटनाएँ तूफानी बादलों से बहुत ऊपर होती हैं और वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के राज को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। स्पेस वेबसाइट के अनुसार, NASA के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर ने एक 'ब्लू जेट' की तस्वीरें खींची हैं।"

टॉप 100 एआई लीडर्स की लिस्ट में भारतवंशी रवि कुमार भी

प्रतिष्ठित टाइम मैग्ज़ीन ने 2025 की टॉप 100 एआई लीडर्स की सूची जारी कर दी है। इसमें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली टेक सीईओ, सह-संस्थापक और कार्यकारी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। लिस्ट में कॉग्निजेंट के भारतवंशी सीईओ रवि कुमार एस. का नाम भी शामिल है। उनके अलावा टेस्ला और एक्स के सीईओ एलन मस्क, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और क्लाउडफ्लेयर के सीईओ मैथ्यू प्रिंस के नाम प्रमुख हैं।

भारत-जापान सहयोग, अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ निवेश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई दी। जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 6 लाख करोड़ रुपये निवेश का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भारत-जापान बिजनेस फोरम में कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट मिलकर दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। सहयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। पीएम मोदी ने जापानी पीएम शिगेरु इशिबा से मुलाकात कर रोडमैप तैयार किया।

GPI 2025: सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित

वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index – GPI 2025) में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश और दुनिया में 6वां स्थान मिला है। इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 163 देशों का मूल्यांकन किया गया। आइसलैंड लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सिंगापुर का स्कोर 1.357 रहा, जो 2024 से बेहतर है। एशिया में जापान, मलेशिया और भूटान शीर्ष देशों में शामिल रहे। भारत 2.229 स्कोर के साथ 115वें स्थान पर है।

एजुकेट गर्ल्स बनी 2025 रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड पाने वाली पहली भारतीय संस्था

'एजुकेट गर्ल्स' NGO को 2025 के रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया का यह सर्वोच्च सम्मान पहली बार किसी भारतीय संस्था को मिला है। यह पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को स्कूल बीच में ही छोड़ चुकी लड़कियों को वापस शिक्षा से जोड़ने की पहल के लिए दिया है। इस पहले के चलते अब तक उन्हों ने 2 करोड़ से भी ज्यांदा बच्चियों को वापस स्कूल से जोड़ा है। ये सम्माहन पाकर एजुकेट गर्ल्स का नाम सत्यजीत रे, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, किरण बेदी, विनोबा भावे, दलाई लामा, मदर टेरेसा और ऑस्कर विजेता हायाओ मियाजाकी के साथ शामिल हो गया है।

सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग भारत दौरे पर, आर्थिक साझेदारी पर होगा फोकस

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। उनकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता होगी। शिपिंग, नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष सहित पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। न्हावा शेवा पोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें सिंगापुर ने 83,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह दौरा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है।

आई स्टेथोस्कोप: 15 सेकंड में दिल की बीमारी पकड़ लेता है

ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज, लंदन के वैज्ञानिकों ने एक एआई-पावर्ड स्टेथोस्कोप तैयार किया है, जो सिर्फ 15 सेकंड में दिल की तीन गंभीर बीमारियों की पहचान कर सकता है। यह डिवाइस हार्ट फेल्योर, हार्ट वाल्व डिज़ीज़ और दिल की धड़कन की अनियमितता (एब्नॉर्मल रिद्म) को तुरंत पकड़ लेता है। यह नया स्टेथोस्कोप पारंपरिक स्टेथोस्कोप का उन्नत संस्करण है, जिसका उपयोग पिछले 200 साल से किया जा रहा है।

भारत में बनी पहली माइक्रोप्रोसेसर चिप 'विक्रम' लॉन्च

सेमीकॉन इंडिया 2025 इवेंट में देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर चिप 'विक्रम' को लॉन्च किया गया है। ये चिप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की सेमीकंडक्टर लैबोरेट्री (SCL) ने बनाई है और इसे खास तौर पर अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयार किया गया है।

अमेरिका से पहली बार भारत को हस्तांतरित होगी परमाणु प्रौद्योगिकी

देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करने जा रही है। अमेरिका की फ्लोसर्व कॉरपोरेशन ने भारत की कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के साथ देश में परमाणु ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइमरी कूलेंट पंप (पीसीपी) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु समझौता किया है। इस प्रौद्योगिकी की मदद से 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। वर्तमान में मात्र 8.2 गीगावाट बिजली का उत्पादन परमाणु संयंत्रों के जरिए हो रहा है।

लाल सागर में केबल कटी दुनियाभर में इंटरनेट धीमा

लाल सागर में सऊदी अरब के पास फाइबर ऑप्टिक केबल क्षतिग्रस्त होने से दुनियाभर में इंटरनेट धीमा हो गया है। ये केबल्स यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरी हैं। आशंका है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने केबल को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हूती ने इससे इनकार किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि केबल की मरम्मत में समय लग सकता है।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

खेल / कला

कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग: अजय बाबू और बेदाब्रत ने रिकॉर्ड बनाकर जीते गोल्ड

कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू व बेदाब्रत ने गोल्ड जीते। अजय ने सीनियर 79 किग्रा में 335 किलो (स्नैच 152 किलो, क्लीन एंड जर्क 183 किलो) उठाकर चैम्पियनशिप रिकॉर्ड बनाया। जूनियर 79 किग्रा में बेदाब्रत ने स्नैच (145), क्लीन एंड जर्क (181) व कुल 326 किलो के साथ तीनों रिकॉर्ड तोड़े।

चेस: अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो ने जीता सिंकफील्ड कप

अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो ने सिंकफील्ड कप का खिताब जीत लिया। अंतिम राउंड के बाद वेस्ली ने भारत के आर. प्रज्ञानानंद और अमेरिका के फेबियानो कारुआना के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर फिनिश किया। इसके चलते तीनों ग्रैंडमास्टर्स के बीच प्लेऑफ खेला गया। इसमें वेस्ली विजेता बने।

डायमंड लीग फाइनल: नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर

भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 85.01 मीटर की अंतिम थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर की सीज़न सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब जीता, जबकि त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉर्न वॉलकॉट 84.95 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज ने लगातार 26वीं बार शीर्ष-दो स्थानों में जगह बनाकर अपनी विश्वस्तरीय निरंतरता साबित की।

महक शर्मा ने रजत, लवप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता

भारत की महक शर्मा ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंतिम दिन महिलाओं के 86 किग्रा से अधिक वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किग्रा से अधिक वर्ग में कांस्य पदक जीता। महक ने कुल 253 किग्रा (स्नैच में 110 किग्रा और क्लीन और जर्क में 143 किग्रा) भार उठाकर वीर सावरकर खेल परिसर में दूसरा स्थान हासिल किया। सामोआ की इउनियारा सिपाया ने 261 किग्रा (स्नैच में 111 किग्रा और क्लीन और जर्क में 150 किग्रा) भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता नाइजीरिया की मैरी ताइवो ओसिजो ने कुल 231 किग्रा (स्नैच में 103 किग्रा और क्लीन और जर्क में 128 किग्रा) भार उठाकर कांस्य पदक जीता।

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप: सात्विक-चिराग सेमीफाइनल में हारे, मिला ब्रॉन्ज

भारत की टॉप बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 30 अगस्त की रात को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में चीन के चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी ने 19-21, 21-18, 12-21 से हराया। मुकाबला एक घंटे सात मिनट तक चला। ऐसे में भारतीय जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को 2022 में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था।

छत्तीसगढ़ को एथलेटिक चैंपियनशिप में 6 गोल्ड समेत 8 पदक मिले

14वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब-जूनियर पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र में 29 से 31 अगस्त के बीच हुई इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 1500 मीटर और 400 मीटर रेस में सुखदेव ने टी-11 कैटेगरी में गोल्ड जीता। 1500 मीटर रेस में निखिल कुमार यादव ने भी गोल्ड हासिल किया। टी-12 वर्ग की 400 मीटर दौड़ में नीलम टंडन ने रजत, टी-11 वर्ग की लंबी कूद में देवमोती ने कांस्य पदक जीता। टी-45 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में शिवराम साहू ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में यशोदा राजवाड़े ने दो स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया।

आईसीसी महिला विश्व कप: चैंपियन को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा इनाम

आईसीसी ने घोषणा की है कि आगामी महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 39.55 करोड़) की रिकॉर्ड राशि मिलेगी। यह अब तक के टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा इनाम है, जो पिछले संस्करण की 11.65 करोड़ राशि से लगभग तीन गुना ज्यादा है। इस बार कुल 13.88 मिलियन डॉलर (122.5 करोड़) की पुरस्कार राशि तय की गई है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से 30 सितंबर से इस 13वें संस्करण की मेजबानी करेंगे। आठ टीमों के इस मेगा टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट को नई ऊँचाई मिलने की उम्मीद है।

प्रणव वेंकटेश ने रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ जीत दर्ज की

विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने स्पेन के ग्रैंडमास्टर एलेन पिचोट को हराकर फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। प्रणव ने नौ में से सात अंक बनाए और अमेरिका के ब्रैंडन जैकबसन, मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्तिनेज तथा ईरान के अमीन टाबाटाबाई से एक अंक आगे रहे। ग्रैंडमास्टर आदित्य मित्तल और शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन 5.5 अंक लेकर संयुक्त पाँचवें स्थान पर रहे। आदित्य कुल मिलाकर छठे और निहाल 12वें स्थान पर रहे। अठारह वर्षीय प्रणव ने नौ दौर के टूर्नामेंट में एक भी पराजय का सामना नहीं किया। उन्होंने पाँच जीत दर्ज कीं, जबकि चार मुकाबले ड्रॉ रहे। इस प्रदर्शन के साथ उन्हें 23,000 डॉलर की पुरस्कार राशि और 28 ईएलओ रेटिंग अंक मिले।

पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

पाकिस्तान के सीमित ओवरों के मध्यक्रम के बल्लेबाज आसिफ अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 33 वर्षीय आसिफ ने इसे अपने पेशेवर करियर का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की जर्सी पहनना उनके लिए सम्मान की बात रही। फैसलाबाद के इस खिलाड़ी ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और 2019 वनडे विश्व कप तथा 2021 और 2022 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। वह 2018 वनडे एशिया कप और 2022 टी20 एशिया कप की टीम का हिस्सा भी रहे। आसिफ अब घरेलू और फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे।

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला-जशपुर (छ.ग.)

(कलेक्टोरेट प्रथम तल, दूरभाष 077763-223212, Email-id-actd.jashpur@gmail.com)

क्रमांक /1950 / वन अधि./आ.जा.क./2025-26 जशपुर, दिनांकः- 25-08-2025

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) की नियुक्ति किये जाने हेतु ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन रजिस्टर्ड डॉक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-जशपुर (छ.ग.) में किया जा सकेगा। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	मानदेय	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक- वन अधिकार अधिनियम)	30,000/-	01	01 वर्ष	जिला स्तर	प्रत्येक जिले के जिला स्तरीय समिति स्तर पर
2	एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)	20,000/-	03 एसडीएलसी बगीचा-01 फरसबहार-01 पत्थलगांव-01	01 वर्ष	चिन्हित अनुभाग स्तर पर	संबंधित जिले के चिन्हित उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर

1. आवेदन पत्र आमंत्रित करनें की अंतिम तिथि-14.09.2025 समय 5:00 बजे सांय तक।

नोटः-

पद की शर्तेः-

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्तेः-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है ।
   वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसेः- जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।

4. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि :-

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर विज्ञापन जारी होने के (21) इक्कीस दिवस के भीतर संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में प्रस्तुत / जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर / अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।

(v) 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम)-(जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर कियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं

क्रमशः

तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।

10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मागदर्शन प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मागदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।
17. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम)- (उपखण्ड स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा-एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन / पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. जिला स्तर एवं ग्रामसभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड/अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. जिला परियोजना समन्वयक के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. पदेन सचिव, उपखण्ड स्तरीय समिति को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला-जशपुर (छ.ग.)

आवेदन पंजीकरण कमांक.....

(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र वर्ष 2025-26

1. आवेदक का नाम :----------
2. पिता का नाम :----------
3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :----------
4. आवेदक की श्रेणी :----------
   (सामान्य/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
5. मूल निवास (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :----------
6. निवास का पता ई-मेल सहित :----------
   फोन/मोबाईल नंबर :----------
7. शैक्षणिक योग्यता
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभव की कुल अवधि----------
   (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्य की प्रकृति (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन / नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर .....
नाम.....
दिनांक.....
स्थान-.....

आर.ओ.127/जी-252603148/4

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम विकास) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

संयुक्त जिला कार्यालयः भू-तल, कक्ष क्रमांक G3, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

E-Mail ID - actwsurajpur@gmail.com

क्रमांक/1855/ वन अधि./आ.वि./2025-26 सूरजपुर, दिनांक 29/08/2025

आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक / वन अधि./ DA-JGUA/2025-26/6345 अटलनगर दिनांक 14.08.2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तर के वन अधिकार प्रकोष्ठ में मानव संसाधन के रूप में क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक -वन अधिकार अधिनियम) तथा उपखण्ड स्तर पर एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) की नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन जारी दिनांक से 18.09.2025 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर में आमंत्रित किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	मानदेय	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक- वन अधिकार अधिनियम)	30,000/-	01	01 वर्ष	जिला स्तर	जिला स्तरीय समिति स्तर पर
2	एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम)	20,000/-	02	01 वर्ष	चिन्हित अनुभाग स्तर पर	जिले के चिन्हित उपखण्ड स्तरीय समिति स्तर पर

पद की शर्तेः-

1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।

पात्रता की शर्तेः-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है।

   वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
2. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।

4. आवेदन की प्रकिया तथा निर्धारित तिथि :-

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक 18.09.2025 को सायं 05:30 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर में प्रस्तुत/जमा करेंगे।

(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल माध्यम से अवगत कराया जावेगा।

(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।

(v) 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य

जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक-वन अधिकार अधिनियम) (जिला स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के गठन / पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. राज्य स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना।

क्रमशः

9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. जिला स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक मागदर्शन प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय वनों से संबंधित अन्य विधियों तथा नीतियों संबंधित आवश्यक कार्यवाही को राज्य स्तर से मागदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही करना।
17. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

एमआईएस सहायक (सहायक-वन अधिकार अधिनियम) (उपखण्ड स्तर)

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3(1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन/पुनर्गठन, बैठक एवं समिति द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजों के संबंधित विभागों के अभिलेखों में अद्यतनीकरण, फौती, नामांतरण आदि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
5. विभाग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
6. मैदानी क्षेत्र भ्रमण कर कियान्वयन संबंधित समस्याओं का आंकलन कर निराकरण हेतु संबंधित समितियों, विभागों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करना।
7. जिला स्तर एवं ग्रामसभा तथा मैदानी स्तर के कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन को बेहतर करना।
8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच उपखण्ड/अनुभाग एवं मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
9. विभाग द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले मैदानी क्षेत्र के निरीक्षण, अध्ययन एवं तकनीकी सहयोग संबंधी भ्रमण के दौरान आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करना।
10. अधिनियम के व्यावहारिक जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न माध्यम से जैसे जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं परामर्शदात्री बैठकों इत्यादि में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
11. मैदानी स्तर पर वन अधिकार पर काम कर रहे गैर सरकारी संस्थाओ से वन अधिकार दावा व प्रबंधन प्रक्रिया मे गति हेतु आवश्यक संवाद स्थापित करना।
12. जिला परियोजना समन्वयक के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करना एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
13. विभाग / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
14. पदेन सचिव, उपखण्ड स्तरीय समिति को रिपोर्टिंग करना।
15. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन आनुषांगिक कार्य ही करना।
16. वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

आवेदन पंजीकरण कमांक.....

(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र वर्ष 2025-26

(आवेदित पद का नाम----------)

1. आवेदक का नाम :----------
2. पिता का नाम :----------
3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :----------
4. आवेदक की श्रेणी :----------
   (सामान्य/अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
5. मूल निवास (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :----------
6. निवास का पता ई-मेल सहित :----------
   फोन/मोबाईल नंबर :----------
7. शैक्षणिक योग्यता
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

8. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभव की कुल अवधि----------
   (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र	शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम	कार्य अवधि		कार्य की प्रकृति (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन / नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर .....
नाम.....
दिनांक.....
स्थान-.....

आर.ओ.128/जी-252603197/4

दानवीर भामाशाह सम्मान वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टि का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर दानशीलता, सौहार्द्र एवं अनुकरणीय सहायता प्रदान करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति/संस्था को दानवीर भामाशाह सम्मान प्रदान किया जाता है।

1. सम्मान का स्वरूप :- पुरस्कार में राशि रूपये 1.00 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
2. **चयन के लिए मापदण्ड :-**

1. आवेदनकर्ता/संस्था छत्तीसगढ़ के निवासी / छत्तीसगढ़ में कार्यरत होना चाहिए।
2. छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में दानशीलता एवं राष्ट्रप्रेम तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल से संलग्न प्रदेश के ऐसी स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति का चयन किया जायेगा जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा है और जो वर्तमान में भी उस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है।
3. व्यक्ति/संस्था के योगदान का संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए। परम्परागत तौर तरीको से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, यह स्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए।
4. ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के पुरस्कार की जूरी का सदस्य हो।
5. सामाजिक कार्य करने एवं उसके उत्थान के लिए पूर्व में काई अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था/व्यक्ति भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा बशर्ते ऐसी संस्था / व्यक्ति समस्त अर्हताओं की पूर्ति करते हो।
6. पुरस्कार के लिए व्यक्ति/संस्था के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा।
7. व्यक्ति/संस्था को इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होने पर कि उसने दानशीलता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में दीर्घकालिन कार्य किया है और वह इस दिशा में अब भी सक्रिय है अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा उसके लिए कार्य की परिमाणमूलक निरंतरता आवश्यक है।
8. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाएं अथवा इनमें कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक सम्मान के लिए पात्र नहीं होगे।
9. जूरी अथवा उसके किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकेगा जिसकी लिखित सहमति संबंधित व्यक्ति / संस्था को देनी होंगी।
10. सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों में परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी द्वारा विचार होगा। व्यक्ति / संस्था के निर्विवाद होने के बारे में जिला अध्यक्ष की अनुशंसा के साथ-साथ जूरी द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जावेगा।

3. **चयन की प्रक्रिया :-**

1. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ विचार के लिए मान्य नहीं होगी।
2. प्रविष्टि/जानकारी राज्य शासन के निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी :-

3.1 व्यक्ति / संस्था का पूर्ण परिचय।
3.2 दानशीलता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी।
3.3 यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया गया हो तो उसका विवरण।
3.4 उत्कृष्ट कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की एक-एक छायाप्रति ।
3.5 दानशीलता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य से संबंधित प्रख्यात व्यक्तियों एवं पत्र-पत्रिकाओं आदि द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटोप्रतियाँ / सत्यप्रतियाँ।
3.6 संस्था/व्यक्ति के निरंतर क्रियाशील एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष की अनुशंसा।
3.7 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति / संस्था की लिखित सहमति।
3.8 एक बार चयन नहीं, होने का अभिप्राय यह नही होगा कि संबंधित व्यक्ति / संस्था का कार्य पुरस्कार योग्य नहीं हैं। निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति / संस्था पश्चातवर्ती वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगे।
3.9 प्रविष्टि में अन्तरनिहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र-व्यवहार करने पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3.10 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा। राज्य शासन/जूरी / कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि जहाँ वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेगा।
3.11 जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त प्रविष्टियों के परीक्षण उपरान्त जिले से सर्वोकृष्ट 2 प्रविष्टियों राज्य स्तर पर अनुशंसा कर भेजी जावेगी।
3.12 पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति एवं पासपोर्ट साइज में 03 फोटोग्राफ।
3.13 कलेक्टर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय लिया जावेगा जो अंतिम और बाध्य भी होगा।

4. प्रविष्टियां भेजने की समय अवधि एवं स्थान व्यक्ति / संस्था द्वारा प्रस्ताव दिनांक 21 सितम्बर 2025 तक संबंधित जिले के संयुक्त/उप/सहायक संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण (छत्तीसगढ़) को प्रस्तुत किया जा सकता है।

संचालक समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.129/जी-252603228/3

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में निम्न लिखित रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट http://vyapamcg.cgstate. gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पदनाम	(अ)				(ब)								(स)	योग	सांतवा वेतनमान
		कुल रिक्त पद संख्या				कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कॉल (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या		
		अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	अमीन	21	06	16	7	6	1	4	2	2	0	1	0	दिव्यंगता अमान्य	50	22400-71200 लेवल-5

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उक्त पदों के लिए संभावित परीक्षा दिनांक 07.12.2025 को आयोजित की जायेगी, विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम, भर्ती प्रक्रिया, नियम एवं शर्ते, परीक्षा तिथि, परीक्षा शहर आदि संबंधी जानकारी व्यापमं के वेबसाईट http://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखे जा सकते हैं, उपरोक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

नोडल अधिकारी/कार्यपालन अभियंता
वास्ते प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम

जिला कबीरधाम (छ०ग०)

क्रमांक 960/ जि.वि.से.प्रा. (LADCS)/2025 — कबीरधाम, दिनाँक 18.08.2025

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 25.08.2025 प्रातः 11:00 बजे से | **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24.09.2025 संध्या 05:00 बजे तक**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (छ०ग०) के अंतर्गत डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कॉसिल के निम्नांकित पदों पर संविदात्मक भर्ती किये जाने हेतु अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

क्र०	रिक्त पद का विवरण	रिक्त पदों की संख्या
01	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	02

टीप:-

क. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम, के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. संविदात्मक पद पर नियुक्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग छत्तीसगढ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

घ. उक्त विज्ञापन सम्पूर्ण कबीरधाम जिला क्षेत्र में कर्तव्य निष्पादन हेतु आमंत्रित किया गया है। किन्तु भविष्य में तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा डिफेंस लीगल एड कौंसिल की मांग किये जाने पर जिला मुख्यालय के लिये नये नियुक्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल को तालुका विधिक सेवा समिति भेजा जा सकता है।

02. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(A) Qualification for Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel:

- Practice in Criminal law for at least 7 Years,
- Excellent understanding of criminal law.
- Excellent oral and written communication skills,
- (Skill in legal research, Thorought understanding of ethicial duties of defense counsel.
- Ability to work effectively and efficiently with others.
- Must have handled at least 20 criminal trials in sessions courts, may by relaxed in exceptional circumstances by Hob'ble executive Chairman, SLSA)

Note: Qualifications may be reasonably relaxed in case of exceptional candidate or circumstances after the approval of the Executive Chairman, SLSA.

03. Honorarium (Retainership Fee) मानदेय (रिटेनर फीस):-

For Class- C (Popluation below 2 Lacs) or Remaining places

1. Deputy Chief Legal Aid Defense Councsel Rs. 40000/- each

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर कबीरधाम जिला कबीरधाम (छ०ग०), पिन 491995 में दिनाँक 24.09.2025 की संध्या 05:00 बजे तक स्वतः उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करे अथवा रजिस्टर्ड डाक से जमा करना होगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर) की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं अभ्यर्थी द्वारा सत्र न्यायालय में 20 आपराधिक प्रकरणों में की गई कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) कोरियर, ई-मेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(4) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय कबीरधाम के वेबसाईड https://kabirdham.dcourts.gov.in/ में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

(5) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(6) आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।

(7) आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

(8) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

(9) विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(10) त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

(11) एल.ए.डी.सी.एस. अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

05. एल०ए०डी०सी०एस० सिस्टम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार है:-

01. Scope of work:-

Legal Aid Defense counsel office shall be dealing exclusively with legal aided matters in criminal matters of the District of HQ, where in it is estanblished. It shall be providing legal services from the early stages of criminal justice till appellate stage, and the same shall include visits to jails from catering to the legal needs of unrepresented inmates, Initially it shall not be deal ing with all type of civil matters nd cases of complainant, where in present counsel assignment system (panel Lawyers) will con tinue to be operational, The following end to end legal services shall be provided throught the legal aid defense counsel office.

- Legal Advice and Assistance to all individuals visiting the office.
- Representatin/ conducting trial and apeeals including all miscel laneous work in all criminal courts such as Sessions, special and Magistrate courts including executive Courts,
- Handing Remand and Bail work,
- Providing legal assistance at pre- arrest stage as per need and also in accordance with NALSA's Scheme for providing such assistance.
- Any other legal aided work related to District Courts or as assigned by the Secretary, DLSA
- Periodine visit of Prisons of the district undr the guidance of the Scretary, DLSA.

02. Selection Procedure:-

After due publicity including public notice, application will be invited and a fair, transparant and competitive selection process shall be adopted by DLSA under guidance of SLSa. Legal Aid Defence Counsels shall be engaged on contract basis in each place/ district initially for a period of two years with a stipula tions of extension on yearly basis on satisfactory performance. The performance of each uhuman resource shall be assessed in every six months by SLSa in consultation with DLSA concerned

क्रमशः

Selection of Deputy Chief Legal Aid Defense counsels, Assistant Legal Aid Defense Counsels will be purely based on merit, tak ing into account the knowledge, skills, practive and experience of candidates. The selction shall be carried out by selection com mittee under the Chairmanship of the Principal District & Sessions Judge (Chairman, DLSa) as envisaged in NALSA (Free and competent Legal Services) Regulations, 2010, Subject to final approval by the Executive Chairnman SLSa. In the selection com mittee at least three senior most judicial officers posted at HQ, dealing mainly criminal cases, preferably sessions cases, will also be included, No person with conflict of intrest shall be part of se leciton process. After approval by the Executive Chairman, Slsa, engagment contract will be executed between the Secratary DLSa and peruos so engaged, The eligibility criterions are as follows:

03- Work Profilies:

(a) Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel.

- Conducting trials, apeeals/Remand work/Bail Applications/visits to prisons etc, as assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel.
- Filing and arguing appeals and bail applications in courts.
- Maintaining comlete case files.
- Doing legal research in legal aided cases and guiding assistant legal aid defense counsel and law students attached with the office in legal research.
- Proper client interviews at various stages for quality research work and representation at remand, trial and appellate stage.
- All or any of the work of the Chief defense counsel as per assignment.
- Any work/duty assigned by legal services Authority.

(b) Assistant Legal Aid Defense Counsel.

- Filing of cases, conducting trials in Magistrate trial cases.
- Remand/bail and other miscellaneous work,
- legal research in legal aided cases,
- Visits to Prison and Legal aid clinics as per directions.
- Providing assistance at pre-arrest stage to suspects,
- Assisisting Chief Legal Aid Defense Counsel and Deputy Legal aid Defense Counsel(s) in conduct of legal aid cases,
- Assisting in developing a defence strategy after sifting through all of the evidence collected by the prosecutionn and after hearing the accused's version of what happened during the alleged crime in question.
- Visiting location/area of alleged crime, having discussions with family members etc, for effective and meaningful input of defense strategy.
- handiling queries of legal aid seekers,
- Updating legal aid seekers about the progress of their cases, Assisting in maintaining complete files of legal aided cases.
- Assisting in maintaining complete files of legal aided cases,
- Handling legal queries relating to criminal matters on telephone.
- Any other work related to legal aid assisgned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Any work/duty assisgned by Legal Services Authority.

04- Termination of Services:

Services of any human resource including legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the chairman, DLSA on reommendation of the Secretary DLSA or on the directions by SLSA in writing.

- He/she substantially breaches any duty or service required in the office, or
- Seeks or accepts any percuniary gains or gratificationn in cash or king from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, or
- charged or Convicted for nay offence by any court of law, or
- Indulges in any type of political activities, or
- Found incapable of rendering professional services of the required standards, or
- Failure to attend trainning programmes without any sufficient cause, or
- Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid defense counsel office, or
- Users his/her position in legal aid defencse counsel office to secure unwarranted privileges or advantages for his/herself or others, or
- Acts in breach of code of ethics, or
- Remains absent without leave for more than two weeks, or
- If services are found unsatisfactory during the six- monthly perormance review by the SLSA or DLSA

05- Code of Ethics:

- Personnel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel shall observe the following code of ethics:
- No personnel shall act in any matter in whcih he/she has a direct or indirect personal or financial interest.
- No Personnel shall wilfully disclose or use, whether or not for the purpose of pecuniary gain, any information that he/she obtained, received or acquired during the fulfilment of his/her official du ties and which is not available to members of the general public.
- No personnel within in the office of Legal Aid Defense Counsel shall make use of his/her office or employment for the purpose of promoting or advertising any outside activity or act as an in dependent practitioner.
- No personnel within in the office of legal Aid Defense counsel shall solicit, agree to accept or accepts, whether directly or indirectly, or indirectly, any gift, favour, service, or other thing of value under circumstances from which it might be reason ably inferred that such gift, service, or other thing of value was given or offered for the purspose of influencing his/her in, or rewarding his/her, the discharge of his/her official duties.
- Legal Aid Defense counsel shall devote his/her full time to his/her duties for the office of Legal Aid Defense Counsel and shall not engage in private practive or law during the terms of employement.
- Every personnel of the Office of Legal Aid Defense Counsel shall strive to preserve the Public's confidence in the office's fair and impartial execution of its duties and responsbilities.
- Legal aid Defense Counsel shall also follow the code of ethis prescribed by Bar Council of India for lawyers.

06- Entitlement to Leave.

- Deputy Legal Aid Defense shall be eligible for 15 days, leave in a calander year on pro-rata basis.
- Assistant Consel Legal Aid Defense counsel and other staff persons shall be eligible for 12 days' leave in a calander year on pro-rata basis.
- No remuneration for the period of absence in escess of the admissible leave will be paid to the human resource of Legal aid Defense Counsel office. Un-avalied leave shall neither be carried forward to next year not encashed.

07- Role of State legal services Authority and District Legal Services Authority.

- Office space planning, and providing infrastructure for office preferably inside or in proximity to court complex.

क्रमशः

- Providing office furniture, office, equipment including computers, printer, internet connectivity and other equipment.
- Purchasing office supplies on need basis.
- Engaging human resource requiremtn for legal aid counsel system office.
- Ensuring proper functioning of Legal aid Counsel system office.
- Ensuring effective monitoring and mentoring.
- Periodical evaluation of Legal services delivered through legal aid counsel system office.
- Regualr trainings and refresher courses for legal aid counsel engaged in Legal aid Counsel system office.
- Renovation of Office space when necessary.
- Provinding Books such as Bare Acts and Commentaries for legal Aid Defense Counsel office.
- Providing Legal Research Software.
- Timely payment of monthly honorarium to legal aid counsel and all staff engaged for Legal aid defense counsel office.
- Payment with regard to expert witnesses, if their services are taken.
- Payment for encidental expenses such as travelling expenses etc. Information/ promotional campaigns/ programmes with regard to legal aid Defense Counsel office.

08. Engagement with Law Schools.

Law Schools often send their students to legal services Insitutions for internship. Moreover, Clinics of Law Colleges also collaborate with Legal Servicess Institutions, Law Students can be engaged with the Legal Aid Defense counsel office as to give them mean ingful exposure to practival aspects of criminal law including preparing a defense stragey and doing legal reserch in various factual scenarios. Law students may be so engaged in the follow ing areas in Legal aid defense counsel office.

- Legal research in criminal cases
- Visiting scenes of Crimes,
- Interviewing accused and their family members and other relevant persons.
- Visits of Prisons and Legal Aid clinics.
- Associating in Campaigns undertaken.
- Assist in sifting through all of the evidence collected by the prosecution and providing effective input for preparing defense strategy.

The intership of law students can be offered for a period upto 3 months. the Law students so engaged shall not be paid any stipend by the Legal Services Authorities but the certificate of work and period of work will be issued by the Chief Defense Counsel & Secratary DLSA.

09. Monitoring and Evalution

- The work and performance shall be closely monitored by the Secretary DLSA and a monthly review meeting will be organised under the chairmanship of the Chairman, DLSA. the Minutes of the meeting shall be sent to SLSa. A quarterly review meeting. with every LADCS office and the Secretary, DLSA will also be organized by the Member Secretary, SLSA and munutes shall be sent to NALSA. The formats for such data sharing will be shared at the time of launch. Monitoring shall be continuous process and at the end of six months the performance of every human resource shall be evaluated by the SLSAa under the guidance of Hon'ble Executive Chairman, SLSA.
- Monitoring and mentoring committee shall monitor legal aid work of Legal Aid Defense Counsel Office.
- The Chief Legal Aid defense Counsel shall be involved in monitoring & mentoring Legal Aid cases.

06. चयन सूची तथा प्रतिक्षा सूची :-

साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की चयन एवं प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी।

07. महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी तथा यदि किसी प्रकार की लापरवाही, कदाचार या पीड़ित /पक्षकार से अभद्रता अथवा धनराशि की मांग/लेन, देन इत्यादि के संबंध में लिखित अथवा मौखिक शिकायत प्राप्त होने की दशा में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को कभी भी बिना पूर्व सूचना दिये सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा।

चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है, यदि विज्ञापन प्रारूप एवं भर्ती प्रक्रिया इत्यादि में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इस संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार संविदात्मक भर्ती हेतु विज्ञापन प्रारूप चयन समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (छ०ग०)

APPLICATION FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME LEGAL AID LAWYER IN LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM

District Kabirdham
Application No.----------
(For Office use)----------

Photo

Application for Deputy/Assistant Legal Aid Defense Counsel

1. Application's Name :----------
2. Father's/husbands Name :----------
3. Date of Birth :----------
4. Age (As on 01-12-2024) :----------
5. Gender :----------
6. Residential Address :----------
7. Office Adrress :----------
8. Chamber address (if any) :----------
9. Telephone no. (0) :----------
10. Telephone No. (R) :----------
11. Mobile No. :----------
12. Fax No. :----------
13. E-mail ID :----------
14. Pan No. :----------
15. Aadhar No. :----------
16. Educational Qualification (Please enclose self- attested copes of documents)

Course	Name of Board/ University	Year of Passing	Obtained percentage (Aggregate)
Gradution			
Professional Degree LLB			
LLM			
Any Other (if any)			

क्रमशः

(पृष्ठ 12 का शेष)

17. Date of Enrolment as Lawyer :----------
18. Enrolment no. :----------
(Attach self attested copy of enrolment certificate issued by Bar Counsil)
19. Experience in Bar :----------
(duration of actual practice)
(Attach an experience certificate issued by the Bar Association/ Council)
(a) Total No. of cases handled :----------
(b) Nature of cases handled :----------
(Attache extra sheet, if required
(c) Specialization, if any :----------
(the details of a few important cases, the Application have dealt with/handled reported judgement if any)
20 Whether empanelled as Central/State Government or Goverment undertaking counsel/pleader :----------
(Indicate period & attach documents)
21. The Courts where the Applicant is :----------
regularly practicing
22. Speicify whether earlier remained on the panel of HCLSC DLSA or TLSC (Indicate period, number of legal aid cases handled & result) (attach documents):----------
23. Whether any disciplinary cases/Complaint is was against the Application with any Bar Council : YES NO
(If yes, specity details of both disposed & pending with documents)
24. List of the documents to be attached.
1. Self- Attested copy of Certificates in support of educational qualifications.
2. Self-Attested copy of Certificate in enrollment issued by the Bar Council under the Advocates Act, 1961.
3. Self-Attested copy of Photo Identify Card, Address Proof.
4. Self- attested copy of photo of ITR for last 3 years
(If available)
5. Photo copies of judgements in 5 Sessions cases, represented as Defense lawyer, (for the post of Deputy Legal Aid Defense Counsel)
6. Photocopies of at least 5 cross examinations is Sessions cases
(For Deputy LegalAid Defense Counsel)

(Signature)

DECLARATION

I here declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false/incorrect at any stage, my candidature is liable to be cancelled, I have read and understood the instructions and terms of the engagement and agrees to abide by those. I declare that I fulful the eligibility conditons for the category to which I am seeking engagement, I declage that I have never been penalised by any Bar Council in any Disciplinary Proceedings. I also undertake to maintain absolute integrity and discipline as required thereunder, I agree with the remuneration structure and all the terms and conditions notified by SLSA/DLSA concerned.

(Signature)

Place:----------
Date:----------

जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 4620/जसंसं/पुरस्कार/2025 नवा रायपुर, दिनांक 22.08.2025

चन्दूलाल चन्द्राकर और मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025 के लिए प्रविष्टि/प्रस्ताव आमंत्रित (अंतिम तारीख 19 सितम्बर 2025)

छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय श्री चन्दूलाल चन्द्राकर और स्वर्गीय मधुकर खेर की स्मृति को चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से पत्रकारिता के माध्यम से राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए 'चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार' और 'मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की गयी है। ये पुरस्कार क्रमशः दो-दो पत्रकारों को दिए जाएंगे। इनमें से दो प्रिंट मीडिया से और दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होंगे। पुरस्कार के लिए वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार:- इस पुरस्कार के अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को रूपए 50 हजार 50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए तथा दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार हिंदी/छत्तीसगढ़ी में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय / प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हिंदी/छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हों, के लिए होंगे।

मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार:- इस पुरस्कार के अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को 50 हजार 50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए और दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं अंग्रेजी भाषा में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अंग्रेजी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हों, के लिए होंगे।

पुरस्कार के लिए व्यक्ति स्वयं प्रविष्टि दे सकेगा अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र-पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संपादकीय प्रमुख अथवा छत्तीसगढ़/भारत का कोई भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार प्रस्तावक हो सकेगा।

प्रविष्टियां / प्रस्ताव पुरस्कार वर्ष के सितंबर माह के पूर्व वर्ष के 31 अगस्त से एक वर्ष के बीच किए गए रचनात्मक लेखन अथवा रिपोर्टिंग से संबंधित होने चाहिए। पुरस्कार हेतु विचारार्थ प्रविष्टि/प्रस्ताव किसी एक प्रकाशित/प्रसारित सामग्री की सत्यापित कतरन / सीडी/डीवीडी के रूप में छह प्रतियों में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुरस्कार के लिए बताए गए तथ्य वास्तविक हैं।

पुरस्कार के लिए प्रविष्टि/प्रस्ताव 19 सितम्बर 2025 तक संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) 492002 के पते पर निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। प्रविष्टि से संबंधित सीलबंद लिफाफे के ऊपर 'चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025' अथवा 'मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025' स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त प्रविष्टियों / प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक संबंधी विलंब के लिए जनसम्पर्क संचालनालय उत्तरदायी नहीं होगा। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और आवेदन प्रारूप जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dprcg.gov.in से डाउनलोड किये जाएंगे।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.)

पुलिस लाईन कैम्पस टिकरापारा रायपुर

टेलीफोन नं. 0771-3501122, ईमेल director-sfsl @cg.gov.in

क्र./रा.न्या.वि.प्र/राय/भर्ती एवं चयन/एम-4376/2025 रायपुर दिनांक 29.08.2025

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

छ०ग० शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक ESTB/1952/2025-STATE FSL SECTION दिनांक 18.07.2025 तथा पत्र क्रमांक एफ 3-68/दो-गृह/एफएसएल/ 2019 दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती करने की अनुमति प्रदाय की गयी है। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों से आनलाईन आवेदन विभाग के वेबसाईट https://fsl.cg.nic.in/ पर आमंत्रित किये जाते हैं -

क्र	पदनाम	वेतन लेवल	पद संख्या
1	प्रयोगशाला तकनीशियन	7	8
2	प्रयोगशाला सहायक	5	11
3	सहायक ग्रेड-03	4	22
4	प्रयोगशाला परिचारक	3	25
5	विसरा कटर	1	11
6	बोन कटर	1	3
		कुल	80

विज्ञापित पदों का विस्तृत विज्ञापन, आनलाईन आवेदन की तिथि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अर्हता. आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, परीक्षा का दिनांक एवं समय, पदों पर आरक्षण एवं अन्य जानकारी विभाग के उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

डॉ. टी. एल. चन्द्रा
प्रभारी संचालक
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला
रायपुर छ०ग०

आर.ओ.130/जी-252603171/3

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक बालोद

ग्राम एवं पोस्ट-दुधली, जिला-बालोद-491226 (छ.ग.)

Website: www.polvbalod.ac.in ईमेल: govtpolybalod@gmail.com.

फोन नं. 07749299565

क्र/698/स्था./2025. बालोद, दिनांक 03.09.2025

Walk-in-Interview for Part Time Lecturer-Mechanical

शासकीय पॉलीटेक्निक, बालोद में निम्न विभाग/ विषय में पूर्णतः अस्थाई रूप से अंशकालीन आधार पर व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारो को अपने बायोडॉटा, मूल दस्तावेजों एवं 01 सेट छायाप्रतियों के साथ वाक्-इन-इन्टरव्यू के लिए सस्था में आमंत्रित किया जाता है।

क्र	विषय	रिक्तिया	न्युनतम शैक्षणिक अर्हता	साक्षात्कार की तिथि
1	मेकेनिकल	01	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में बीई/बी.टेक की उपाधि।	11.09.2025 समय प्रातः 11.00 बजे

अंशकालीन व्याख्याताओं को पारिश्रमिक प्रति पिरियड 800 रू/घन्टा के दर से अधिकतम रू. 56100 प्रतिमाह देय होगा। चयन उपरान्त तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा।

नियुक्ति हेतु सेवा शर्ते अर्हताएं मापदण्ड एवं निर्धारित प्रपत्र संस्था की वेबसाइट www.polybalod.ac.in से डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है।

प्राचार्य
शासकीय पॉलिटेक्निक बालोद

आर.ओ.139/जी-252603248/4

कार्यालय, आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक / आदि०यो०/04/2025-26/6801 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/09/2025

डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान- 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु द्वितीय विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

2. सम्मान का स्वरूप :-

उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटिट्का दी जाएगी।

3. आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-

3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियां, समाज सेवी संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 20/09/2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय, सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर ब्लाक-ए रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि एवं समयावधि पश्चात, प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

3.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

3.3 प्रविष्टियां / आवेदन पत्र के लिफाफे पर डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

4. प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है -

1. संस्था का पूर्ण परिचय
2. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)
5. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र / पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।
6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति ।
8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति ।
9. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षो / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. संस्था को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा संस्था के कार्य का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। तथा इस हेतु वे (संस्था) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तर)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.131/जी-252603199/3

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक /स्था. अवि./ 254/2025/813 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/09/2025

पूर्व में जारी संक्षिप्त विज्ञापन में संयोजन (Add On)

संचालनालय का पत्र क्रमांक / स्था.अवि./37/2025/210, दिनांक 28.03.2025 के द्वारा संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, वार्ड ब्वॉय एवं वार्ड आया) के कुल 525 पदों एवं पत्र दिनांक 18.06.2025 के द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 25 पदों को सीधी भर्ती करने हेतु संक्षिप्त विज्ञापन प्रारूप का प्रकाशन कर, उक्त पदों का विस्तृत विज्ञापन को व्यापम के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पृथक से अपलोड की जावेगी, संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया। उक्त पदों के विस्तृत विज्ञापन में नियम एवं शर्ते के कंडिका में नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे। उल्लेखित है। उक्त कंडिका में सीधी भर्ती के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, दिनांक 07.12.2021 के द्वारा कोविड के दौरान अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के संबंध में विचार करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-33/2021/1/5, दिनांक 17.09.2021 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लेता है कि कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाये एवं छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह / एक, दिनांक 03.02.2023 के द्वारा कोरोना वैशविक महामारी सेवा देने वाले अस्थायी कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 6 माह तक लगातार सेवा देने के स्थान पर एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव प्रतिस्थापित करता है. प्रावधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार संचालनालय का पत्र क्रमांक /स्था.अवि./37/2025/210, दिनांक 28.03.2025 के द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन में संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, वार्ड ब्वॉय एवं वार्ड आया) के कुल 525 पदों एवं पत्र दिनांक 18.06.2025 के द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 25 पदों पर कोरोना वैशविक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एक वर्ष में 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ विभाग द्वारा दिया जावेगा।

आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

आर.ओ.132/जी-252603207.3

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204 वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/ 824/13/परीक्षा/2024 नवा रायपुर, दिनांक 18/07/2025

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के WP (S) no. 608/2025 Ms. Vinita Yadav Vs. State of Chhattisgarh &Ors Date 27/05/2025 के आलोक में एवं छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 2782/2025/21-ब/छ.ग./25 दिनांक 01/07/2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, विज्ञापन दिनांक 23/12/2024 को प्रभावी/लागू छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2006 के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23/12/2024 के तहत् व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा दिनांक 21 सितंबर 2025 (रविवार) को जिला-बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय-सारिणी निम्नानुसार है:-

DATE	DAY	TIME
21.09.2025	SUNDAY	10:00 AM To 12:00 PM

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक,
छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

कार्यालय, आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक / आदि०यो०/05/2025-26/6800 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/09/2025

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रण हेतु द्वितीय विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

3. सम्मान का स्वरूप :-

उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटिट्का दी जाएगी, सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति को दी जा सकती है।

4. आवेदन / प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-

2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियां, समाज सेवी व्यक्ति द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 20-09-2025 सायं 5:00 बजे तक सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर ब्लाक-ए रायपुर छ.ग. में जमा की जायेगी। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

22 योजना नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर "शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2025" अंकित होना चाहिए।

3. प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-

1. व्यक्ति का पूर्ण परिचय।
2. आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यों को सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
5. आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
6. व्यक्ति के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की सहमति।
8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।
9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नही होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नही हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगां।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्युरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (व्यक्ति) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तर)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.133/जी-252603200/3

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

// यतियतन लाल सम्मान-2025 //

राज्य शासन ने अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय "यतियतन लाल सम्मान" की स्थापना की है। वर्ष 2025 के लिए उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के एक व्यक्ति/एक संस्था के चयन हेतु सर्वसंबंधितों दिनांक 22 सितम्बर, 2025 सायं 5.30 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) चयनित व्यक्ति / संस्था को नगद, सम्मान प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका एवं प्रमाण पन्त्र भी प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।

2/- उक्त पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर ही दिया जाएगा। पुरस्कार हेतु प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति कर प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति / संस्था का पूर्ण परिचय ।

ख. अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में किए गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए किए गए कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।

घ. अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित छायाप्रति ।

च. अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति ।

ज. यदि आवेदक राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी विभाग, निगम / मंडल में सेवारत हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख प्रविष्टि में किया जाए ।

आवेदक जिस जिले का निवासी हो उस जिले के कलेक्टर को अपनी प्रविष्टि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकेगा। सीधे इस विभाग को प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आर.ओ.136/जी-252603234/3

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

// पण्डित रविशंकर शुक्ल सम्मान-2025 //

राज्य शासन ने सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में किये गये अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय पण्डित रविशंकर शुक्ल सम्मान की स्थापना की है। वर्ष 2025 के लिए उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के एक व्यक्ति/एक संस्था के चयन हेतु सर्वसंबंधितों से दिनांक 22 सितम्बर, 2025 सायं 5.30 बजे तक प्रविष्टियों आमंत्रित की जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) चयनित व्यक्ति / संस्था को नगद, सम्मान प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका एवं प्रमाण पत्र भी प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी ।

2/- उक्त पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर ही दिया जाएगा। पुरस्कार हेतु प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति कर प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति / संस्था का पूर्ण परिचय ।

ख. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए किए गए कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।

घ. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित फोटो प्रति ।

च. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति ।

ज. यदि आवेदक राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी विभाग, निगम / मंडल में सेवारत हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख प्रविष्टि में किया जाए ।

आवेदक जिस जिले का निवासी हो उस जिले के कलेक्टर को अपनी प्रविष्टि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकेगा। सीधे इस विभाग को प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आर.ओ.138/जी-252603236/3

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

// महाराजा अग्रसेन सम्मान-2025 //

राज्य शासन ने सामाजिक, समरसता यथा सभी वर्गों में समभाव, सौहार्द, समाज सेवा के स्थाई कार्य जैसे अस्पताल, धर्मशाला, पेयजल, स्वच्छता एवं सामाजिक विकास के अन्य स्थाई स्वरूप के कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने, सामाजिक चेतना का अच्छा वातावरण विकसित करने के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अखिल भारतीय ₹ महाराजा अग्रसेन सम्मान ₹ की स्थापना की है। वर्ष 2025 के लिए उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के चयन हेतु सर्वसंबंधितों से दिनांक 22 सितम्बर, 2025 सायं 5.30 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) चयनित व्यक्ति को नगद, सम्मान प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका एवं प्रमाण पत्र भी प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।

2/-उक्त पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर ही दिया जाएगा। पुरस्कार हेतु प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति कर प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय।

ख सामाजिक, समरसता यथा सभी वर्गों में समभाव, सौहार्द, समाज सेवा के स्थाई कार्य जैसे अस्पताल, धर्मशाला, पेयजल, स्वच्छता एवं सामाजिक विकास के अन्य स्थाई स्वरूप के कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने, सामाजिक चेतना का अच्छा वातावरण विकसित करने के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए किए गए कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

घ सामाजिक, समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित छायाप्रति।

च सामाजिक, समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।

ज. यदि आवेदक राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी विभाग, निगम / मंडल में सेवारत हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख प्रविष्टि में किया जाए।

आवेदक जिस जिले का निवासी हो उस जिले के कलेक्टर को अपनी प्रविष्टि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकेगा। सीधे इस विभाग को प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आर.ओ.137/जी-252603235/3

कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

Ph.no. 0771-2426739, Fax No.- 2422124, Email- zp-raipur.cg@nic.in

क्रमांक 2812/ स्व.भा.मि. (ग्रा) / जि.पं. / 2025 रायपुर, दिनांक 04/09/2025

संशोधित रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला रायपुर अंतर्गत रूचि की अभिव्यक्ति कमांक 2697 / स्व.भा.मि.ग्रा/जि.पं/2025, रायपुर दिनांक 25.08.2025 द्वारा जिला स्तर के प्लास्टिक प्रोसेसिंग ईकाई (एम.आर.एफ) की स्थापना ग्राम पंचायत निलजा (वि.खं धरसीवा) के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त में संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत निलजा के स्थान पर ग्राम पंचायत माठ (वि.खं तिल्दा) में प्लास्टिक प्रोसेसिंग ईकाई (एम.आर.एफ) स्थापना किया जावेगा।

आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 2025 तक होगी। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन जी.ई. रोड रायपुर
फोन 0771-2262178, वेबसाईट:-www.sportsyw.cg.gov.in, ई-मेल: dir-sportsyw.cg@gov.in

क्र./पुरस्कार-74/2025-26/1266 रायपुर, दिनांक 04/09/2025

गुण्डाधूर सम्मान वर्ष 2025-26 हेतु अनुशंसाओं का आमंत्रण

विषयान्तर्गत 01 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले गुण्डाधूर सम्मान वर्ष 2025-26 हेतु 25 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित प्रारूप में अनुशंसाएं आमंत्रित की जाती हैं।

गुण्डाधूर सम्मान एक खिलाड़ी या एक दल को दिया जा सकेगा। प्रत्येक अलंकरण में राशि 1.00 लाख नगद, अलंकरण फलक, प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किया जाएगा।

चयन का मापदण्डः-

1. गुण्डाधूर सम्मान ऐरो पात्र खिलाड़ियों को दिए जाऐंगे, जिन्होंने वर्ष 2024-25 (विगत वर्ष) में ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार क्षेत्र में लिया जाता है, के सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. यह सम्मान पुरूष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सम्मिलित रूप से होगा अर्थात् उपलब्धियों की तुलना सम्मिलित रूप से की जाएगी।
3. इस सम्मान के लिये उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है।
4. सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।
5. यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में इस सम्मान को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह सम्मान विभाग के अन्य खेल पुरस्कारों के अलावा होगा जो खिलाड़ी को उसकी उपलब्धि के लिये दिया गया है, लेकिन महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान से अलंकृत खिलाड़ी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. यह सम्मान किसी खिलाडी को उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
8. यदि किसी खिलाड़ी या दल को उपलब्धि वर्ष या सम्मान वर्ष में मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
9. सग्मान हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी।
10. ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी की प्रविष्टि उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्त्रोत से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है, उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।
11. प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की प्रविष्टि पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है।

गुण्डाधूर सम्मान की नियमावली छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 249, दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित हुई है, तत्संबंधी नियमों के सभी प्रावधानों / नियमों / शर्तों का पालन करते हुए इस सम्मान हेतु खिलाड़ी/खिलाड़ियों या एक दल का चयन जूरी द्वारा किया जाएगा।

नौकरी पेशा आवेदको के लिए राज्य / केन्द्र के शासकीय / अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारी पर सम्मान / पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उन पर संबंधित सरकार द्वारा लागू नियम का भी परिपालन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियमों को खेल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में भी देखा जा सकता है तथा निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

अनुशंसा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, 2025 है। विभागीय वेबसाईट www.sportsyw.cg.gov.in में आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। इस अवधि में अनुशंसा पत्र, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण के जिला कार्यालयों में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.140/जी-252603277/3

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन जी.ई. रोड रायपुर
फोन 0771-2262178, वेबसाईट:-www.sportsyw.cg.gov.in, ई-मेल: dir-sportsyw.cg@gov.in

क्र./पुरस्कार-74/2025-26/1266 रायपुर, दिनांक 04/09/2025

महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान वर्ष 2025-26 हेतु अनुशंसाओं का आमंत्रण

विषयान्तर्गत 01 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान वर्ष 2025-26 हेतु 25 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित प्रारूप में अनुशंसाएं आमंत्रित की जाती हैं।

महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को दिया जा सकेगा। प्रत्येक अंलकरण में राशि 1.00 लाख नगद, अलंकरण फलक, प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किया जाएगा।

चयन का मापदण्डः -

1. महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान ऐसे पात्र खिलाड़ियों को दिए जाऐंगे, जिन्होंने वर्ष 2024-25 (विगत वर्ष) में तीरंदाजी की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेलों में, छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। यदि तीरंदाजी में उपरोक्त उपलब्धियों वाले खिलाड़ी किसी वर्ष में नहीं मिले तो, इस नियम के जारी होने वाले वर्ष को सम्मिलित करते हुए तीन वर्षों तक तीरंदाजी की राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता या राष्ट्रीय अंतरविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी को यह सम्मान देने हेतु चयन के लिए विचार में लिया जाएगा।
   यदि तीरंदाजी में उपरोक्त उपलब्धियों वाले खिलाड़ी किसी वर्ष नहीं मिले तो उरा वर्ष अन्य ऐसे खेल, जिन्हें भारत सरकार युवा कार्य और खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर के खेल अलंकरण हेतु विचार क्षेत्र में लेता है, के खिलाड़ियों को जिन्होंने विगत वर्ष की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग) या राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेत हुए स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त किया हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, इस सम्मान हेतु चयन के लिए विचार में लिए जाऐंगे।
2. यह सम्मान पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के लिए सम्मिलित रूप से होगा अर्थात् उपलब्धियों की तुलना सम्मिलित रूप से की जाएगी।
3. इस सम्मान के लिये उन खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर विचार किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययनरत है या उपलब्धि वर्ष एवं पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में निरंतर कार्यरत है।
4. सम्मान हेतु वर्ष की गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।
5. यदि चयन समिति की राय में किसी विशेस वर्ष में इस सम्मान को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह सम्मान विभाग के अन्य खेल पुरस्कारों के अलावा होगा जो खिलाड़ी को उसकी उपलब्धि के लिये दिया गया है, लेकिन गुण्डाधूर सम्मान से अलंकृत खिलाड़ी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. यह सम्मान किसी खिलाड़ी को उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही दिया जाएगा।
8. यदि किसी खिलाड़ी या दल को उपलब्धि वर्ष या सम्मान वर्ष में मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा राज्य या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
9. सम्मान हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी।
10. ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी की प्रविष्टि उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्त्रोत से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है, उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है।
11. प्रथम दृष्टि में उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की प्रविष्टि पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है।

महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान की नियमावली छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 520 (6), दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित हुई है, तत्संबंधी नियमों के सभी प्रावधानों/नियमों / शर्तों का पालन करते हुए इस सम्मान हेतु खिलाड़ी/खिलाड़ियों या एक दल का चयन जूरी द्वारा किया जाएगा।

नौकरी पेशा आवेदको के लिए राज्य/केन्द्र के शासकीय / अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारी पर सम्मान / पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उन पर संबंधित सरकार द्वारा लागू नियम का भी परिपालन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियमों को खेल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में भी देखा जा सकता है तथा निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

अनुशंसा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर, 2025 है। विभागीय वेबसाईट www.sportsyw.cg.gov.in में आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। इस अवधि में अनुशंसा पत्र, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर अथवा खेल एवं युवा कल्याण विभाग केजिला कार्यालयों में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत किया जा रोकता है

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.141/जी-252603278/3

कार्यालय प्राचार्य, शास० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग जिला-दुर्ग (छ०ग०)

Phone. No.: 0788-2211156-Email-itidurg@rediffmail.com

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी दिशा-निर्देश का पत्र क्रमांक एफ 1-326 / संरोप्र / स्थाप-प्र / व्य/ 2019/1438/अटल नगर, रायपुर, दिनांक 12.03.2019 तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग के पत्र क्रमांक संसंप्र/क्षेका/दुर्ग/स्थाप/मेह.प्रव. अनु./2022/682, भिलाई, दिनांक 20.08.2025 के निर्देशानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला दुर्ग में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदो के विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 15-09-2025 को अपरान्ह 5:30 बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथी एवं समय के पश्चात प्राप्त /जमा आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

संस्थावार / विषयवार / व्यवसायवार मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु रिक्त पदो की जानकारी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है-

रिक्त पदों की जानकारी:-

सरल क्रमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	संस्थावार रिक्त पद की संख्या						योग
		औ.प्र.स. मिलाई	महिला औ. प्र.स. भिलाई	औ.प्र.स. पाटन	औ.प्र.स. धमधा	औ.प्र.स. लिटिया	औ.प्र. स. दुर्ग	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	विद्युतकार	01	-	-	-	-	-	01
2	फिटर	-	-	-	01	-	01	02
3	मैकेनिक मोटर व्हीकल	-	-	-	-	-	01	01
4	स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी)	02	01	-	-	01	-	04
5	स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी)	-	-	-	-	-	01	01
6	वेल्डर	01	-	01	-	-	-	02
7	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी	-	01	-	-	-	-	01
8	डी.सी.एम.	01	-	-	-	-	02	03
9	ड्रेस मैकिंग	-	01	-	-	-	-	01
10	एम्प्लॉबिलिटी स्किल	02	-	-	-	-	-	02
11	लैंग्वेज अंग्रेजी	01	01	-	-	-	-	02
12	लैंग्वेज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल	02	-	-	-	-	-	02
13	लैंग्वेज हिन्दी	01	-	-	-	-	-	01
योगः-		11	04	01	01	01	05	23

2. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता

क्र.	व्यवसाय/विषय	शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं
1	विद्युतकार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी . अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।
2	वेल्डर	1 . मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।
3	फिटर/टर्नर मशीनिष्ट	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।
4	मैकेनिक डीजल /मैकेनिक मोटर व्हीकल/ट्रेक्टर मैकेनिक/ड्रायवर कम मैकेनिक	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल / ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।
5	स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/ अंग्रेजी)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से (क) शीघ्रलेखक सेकेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी) के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्ट हैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
6	इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग या इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।
7	ड्रेस मैकिंग	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से फैशन एवं अपैरल टेक्नालॉजी में स्नातक टवबंजपवदंसद्ध उपाधि या मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से ड्रेस मेकिंग/गारमेंट फैब्रिकेटिंग तकनीक/कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री या संबंधित उन्नत डिप्लोमा या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।
8	एम्पलॉयएबिलिटी स्कील	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.बी.ए. (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन विषय में स्नातक डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण)
9	इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्यूनिकेशन स्किल)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण
	उपर्युक्त व्यवसायों को छोडकर अन्य व्यवसायों के लिए	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. ए.टी.आई.सी.टी.आई. उत्तीर्ण।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

1 प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदो के लिये संबंधित व्यवसाय / विषय में एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. (CITS/ NCIC) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।

2 एक वर्षीय सी.टी.आई./ ए.टी.आई. (CITS/NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

3 जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैध लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र वैध (परमानेंट) लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4 मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह संस्था द्वारा निर्धारित की गई अवधि तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।

5 किसी व्यवसाय में विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिए तैयार की गई प्रतिक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिए जिले के नोडल / प्राचार्य निर्णय ले सकेगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य जिले के प्रतिक्षा सूची से पूर्ति करने के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।

6 व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिए प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे, इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

7. इसी प्रकार एग्लॉएबिलिटी स्किल में प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।

4. नियम एवं शर्तें:-

01. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय प्राचार्य / नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है, या संस्था की वेबसाइड www.govtitidurg.org से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्यरूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य / नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग, जिला दुर्ग, पिन कोड 491001 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित) केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से ही प्रेषित किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय/ विषय का नाम (जिस व्यवसाय / विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है) एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।

02. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से आवेदन भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही प्रेषित/जमा करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।

03. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राचार्य / नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के कार्यालय में स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदनों पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

04. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदको के हस्ताक्षर नही पाये जाने पर आवेदन को मान्य नही किया जावेगा।

05. आवेदन जमा करने की निधारित अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। आवेदक को छ०ग० राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छ०ग० निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

06. संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश / निर्देशानुसार संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मैरिट के आधार पर मेरिट / चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुभव आवश्यक नहीं है।

07. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदो के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एकवर्षीय सीटीआई/ एटीआई (CITS/NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जाएगी। (CITS/NCIC) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूचीं तैयार कर कार्यवाही की जाएगी।

08. राज्य व्यवसायिक परीक्षा (एससीव्हीटी) उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित व्यवसाय / विषय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण (NAC) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

09. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिए प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जायेगी।

10. इसी प्रकार एम्लॉएबिलिटी स्किल के लिए प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।

11. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई-बढाई अथवा समाप्त की जा सकती है।

12. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदन नियत तिथि एवं समय के पश्चात विलंब से प्राप्त होने पर संस्था जवाबदार नही होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जायेगें।

13. आवेदक, एक से अधिक पदों/एक से अधिक संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं, परन्तु उन्हे इस हेतु पृथक-पृथक संस्थाओं / व्यवसायों/ विषयों के लिए पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।

14. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (उनकी अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

15. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्ताकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर की जाएगी। चयन सूची नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी।

16. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय, द्वारा मेरिट मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात ही नियमानुसार चयनीत अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित मोबाईल / दूरभाष नम्बर पर ही दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हें दूरभाष पर ही आमंत्रण स्वीकार करना होगा, उन्हे किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावेगा, न ही दिया जावेगा।

17. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित / संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।

18. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित / संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जावेगी।

19. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 125 रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे, के मानदेय का प्रावधान है एवं प्रतिमाह अधिकतम 15000 रूपये (अक्षरी पंद्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा 1

20. आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

21. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों/ विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का उसी समय उसका पेश अन्य संस्थाओं / व्यवसायों/ विषय पर चयन अथवा चयन पर विचार निरस्त माना जावेगा ।

22. चयन प्रक्रिया के पश्चात मेहमान प्रवक्ता पद पर आमंत्रित आवेदक अपने कार्य पर उपस्थित होने पर आवेदन में दिये शपथ अनुसार 50 रूपये के स्टंप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

23. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर देते हेतु स्पष्ट कारण दर्शाते हुये उन्हें प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

24. मेरिट / चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जावेगा। किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा।

25. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग का निर्णय अंनतिम एवं बंधनकारी होगा।

(प्रतीक कुमार साहू)
प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग (छ.ग.)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित

विषयः-मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र।

01	आवेदित पद व्यवसाय/विषय का नाम	:----------
02	आवेदित संस्था का नाम	:----------
03	आवेदक का नाम :	:----------
04	पिता/पति का नाम :	:----------
05	माता का नामः	:----------
06	जन्म तिथि (अंकों में)	:----------
	(शब्दों में)	:----------
07	जातिः	:----------
08	पत्र व्यवहार का पूरा पता	:----------
09	मोबाईल नं.	:----------
10	स्थायी निवास का पूरा पता	:----------

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

11 सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हाँ/नहीं) :----------
यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12 हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही) का वैद्य लाइसेंस :----------
(यदि लागू हो) (हाँ / नहीं)

13 हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धती से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा का प्रतिशत----------

14. तकनीकी योग्यता एक से अधिक तकनीकी योग्यताएँ होने की स्थिति में आवेदक को वही अंक दर्ज करने होंगे, जो मेरिट गणना के लिए उपयोग करना चाहता है। :

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/ वि.वि. का नाम	विषय/व्यवसाय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

टीपः- 1. प्रत्येक संस्था / व्यवसाय / विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

2. आवेदन जिला-नोडल संस्था के नाम से डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

3. संलग्न प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रति लगावे।

4. छ.ग.का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रत्र में संलग्न करें।

5. जन्म तिथि के प्रमाण एवं दसवी के मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
7 .....
8 .....

दिनांक------
स्थान---------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम----------
पूरा पता----------

मोबाईल नम्बर----------

// शपथ-पत्र //

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग.द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित / लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।

2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो इसके लिये मैं स्वयं जिममेदार रहूँगा/रहूँगी।

3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित / स्थानांतरित / संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा/ रहेगी। उसके लिये मैं सहमत हूँ।

4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक / संस्था प्रमुख के निर्देषानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।

5. मैं एक से अधिक संस्था/ व्यवसाय / विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था / व्यवसाय / विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाउंगा/जाउंगी तथा दूसरे संस्था / व्यवसाय / विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा ।

6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों / निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

दिनांक----------
स्थान----------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....
पूरा पता.....
मोबाईल नम्बर.....

आर.ओ.142/जी-252603298/5

ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार, वर्ष 2024-25 के लिए प्रविष्टियां

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक सहकारी सोसाइटी को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय 'ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार की स्थापना की गई है, जिसके लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

1. निर्णायक मण्डल (जूरी) की अनुशंसा पर शासन द्वारा अंतिम रूप से घोषित एक व्यक्ति अथवा एक सहकारी सोसाइटी को 'ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार राशि रूपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रूपये मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त वाहिका, प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।

2. पुरस्कार के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैः-

(अ) व्यक्ति के लिएः-

1. लगातार पांच वर्षों तक सहकारिता के विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान किया हो।
2. किसी भी सहकारी सोसाइटी का व्यतिक्रमी सदस्य न हो।
3. व्यक्ति को किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य होना अनिवार्य है।
4. संबंधित व्यक्ति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 19 ए/क एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 44 के तहत निरर्हित न हो।
5. महिला, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
6. संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही न की गई हो।

टीपः-

उपरोक्त बिन्दुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(ब) सहकारी सोसाइटी के लिए :-

1. सहकारी सोसाइटी जिसने 03 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया हो तथा सोसाइटी संचित हानि में न हो।
2. सहकारी सोसाइटी किसी वित्तदायी संस्था या राज्य शासन की व्यतिक्रमी न हो।
3. सहकारी सोसाइटी का वित्तीय अभिलेख तातारीख पूर्ण हो तथा अंकेक्षण अद्यतन पूर्ण हो।
4. अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया हो।
5. सहकारी सोसाइटी अधिनियम / नियम / उपविधियों में वर्णित प्रावधान के अनुसार आमसभा एवं उसकी अन्य समितियों की नियमित बैठकें करती हो एवं कार्यवाही विवरण का परिचालन करती हो।
6. वह सहकारी सोसाइटी जो अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो।
7. प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत् निर्वाचित बोर्ड कार्यरत हो तथा सोसाइटी का प्रबंधन उत्कृष्ट हो।
8. वह सहकारी सोसाइटी जो अपने सदस्यों को लाभांश वितरण करती हो, उसे पुरस्कार के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।
9. सहकारी सोसाइटी में व्याप्त गबन, धोखाधड़ी के मामले में सोसाइटी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाती हो।

टीपः- उपरोक्त बिन्दुओं की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3. पुरस्कार के नियम की प्रति एवं प्रविष्टियों के लिए निर्धारित प्रारूप कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, तृतीय एवं द्वितीय तल, ब्लॉक-बी. इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं सहकारिता विभाग के संभागीय / जिला कार्यालयों में तथा विभाग की वेबसाईट https://coop.cg.gov.in में भी उपलब्ध है।

4 पुरस्कार वर्ष 2024-25 के लिए प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में मय संलग्नक संबंधित संभागीय कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 30/09/2025 तक कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में प्रस्तुत किया जाये। प्रविष्टि प्रेषित करते समय विषय में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से लिखा हो।

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रविष्टियों एवं संभाग स्तरीय विभागीय कार्यालय की अनुशंसा तथा बिन्दुवार टीप के अभाव में प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, छत्तीसगढ़

आर.ओ.135/जी-252603276/3

कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
सामान्य वनमण्डल, महासमुन्द (छ.ग.)

फोनः- 07723-223831, Email-mdjumsd@gmail.com

क्रमांक /स्था./प्रबंधक / भर्ती 2025/2436

महासमुन्द, दिनांक 19/08/2025

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुन्द प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में प्रबंधकों के रिक्त पद की भर्ती करने के लिए निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीद्वारों से दिनांक **19/09/25 समय 5:00** बजे तक कार्यालय प्रबंधक संचालक जिला, वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुन्द (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेगें। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	वर्ग	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले तेन्दूपत्ता फड़ों में आने वाले ग्राम का निवासी से आवेदन प्राप्त होना है।	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	चिरको	प्रबंधक	01	अनारक्षित	चिरको, दर्रीपाली, जोरातराई, सरेकेल, अमोरा, बरेकेल, बनपचरी, तोरला, सिनोधा, तेन्दूवाही	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
2	सिंघरूपाली	प्रबंधक	01	अनारक्षित	जम्हर, राजाडेरा, सिंधरूपाली, डूमरपाली, सिंधूपाली, झलप, कुरुभाठा, रामपुर, गोड़बहाल	
3	मुनगासेर	प्रबंधक	01	अनारक्षित	मुनगासेर, खुडमुड़ी, छुईहा, बोडरीदादर, खाड़ादरहा, चारभाठा, फिरगी, बांसकांटी, सालडबरी, सोहागपुर, छिबर्रा, नरतोरी, रेवा, डोंगरगांव, तुबकबोरा, मोंगरापाली	
4	आमाकोनी	प्रबंधक	01	अनारक्षित	आमाकोनी, कोकनाझर, खम्हरिया, बहियाडीह, छिन्दौली, चोरभट्टी, डूमरडीह, बोडराबांध	
5	गढ़फूलझर	प्रबंधक	01	अनारक्षित	गढ़फूलझर, आमापाली, कुरचुण्डी, साल्हेरिया, कटेल, चमराडिपा, कुदारीबाहरा, अखराभांठा, रानीसागर	
6	जेवरा	प्रबंधक	01	अनारक्षित	जेवरा, केरामुड़ा, गणेशपुर, इंदरपुर, जैतपुर	

1. आवेदन पत्र प्राप्ति करने की अंतिम तिथि 19/09/2025 शाम 5:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. पोस्ट/डाक कार्यालय द्वारा आवेदन विलंब से प्रेषित करने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, चयन प्रकिया तथा वेतन भत्ते संबंधित जानकारी कार्यालयी जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित महासमुन्द वनमण्डल महासमुन्द / संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति चिरको, सिंघरूपाली, मुनगासेर, आमाकोनी, गढ़फूलझर एवं जेवरा कार्यालय के सूचना पटल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला महासमुन्द के वेबसाइट mahasamund.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

(अ) नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं :-

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी।
2. अभ्यर्थी का संस्था (समिति) क्षेत्र का निवासी एवं तेन्दूपत्ता संग्राहक होना अनिवार्य होगा। (यदि आवेदक समिति क्षेत्र का बाहर का निवासी है एवं पत्ता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया जाता है तो अपात्र किया जावेगा)
3. यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था (समिति) क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व पांच वर्ष में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 (पांच सौ) गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो आवेदन के साथ तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड एवं संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त हुये बैंक खाता के स्टेटमेंट की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है मान्यता प्राप्त संस्था निम्नानुसार रहेगें -

(अ) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट।

(ब) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन /राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर सांईस /इन्फारमेंशन टेक्नालॉजी/माडर्न आफिस मेनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)

(स) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिम्ड युनिवर्सिटी / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय / भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर सांईस / इन्फारमेंशन टेक्नालॉजी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि।

(द) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा

ई) कम्प्यूटर विषय में मान्य प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (DCA)

(5. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

6. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबध्द किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्पष्ट एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबध्द प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की संलग्न न होने अथवा उक्त दस्तावेजों के स्व प्रमाणित न होने एवं आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
8. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी निरस्त की जावेगी।
10. भर्ती प्रकिया के संबंध में किसी भी विवाद एवं समस्या पर प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पदेन सहायक पंजीयक महासमुन्द का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) आयु सीमा -

चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पुरी करनी होगी अर्थात् -

1. 01 जनवरी 2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर कीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विश उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा /अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजन के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
5. उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छुट दिये जाने के उपरांत भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(स) अन्य अर्हतायें :-

1. मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
2. अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायापता न हो।

क्रमशः

3. छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित/ प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मण्डल का परिभाषित संबंधी न हो।

(द) चयन प्रक्रिया :-

1. प्रबंधक पद चयन किये जाने हेतु 125 अंक निर्धारित किये जाते है, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-

(क) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक) । उदाहरणार्थ- यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.05 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये है तो उसे 75.05 अंक दिये जायेंगे)

(ख) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको के अनुपात में 1/5 अंक दिये जायेंगे अधिकतम 20 अंक) (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे)

(ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे। सर्टिफिकेट /डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री हेतु 5 अंक दिये जायेंगे।

(इ) नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-

1. चयनित अभ्यर्थी को अपना मूल दस्तावेजों को चयन समिति के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
2. कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिये चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदंडो में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार रूपये मात्र) नगद अथवा सावधि जमा अथवा सालवेन्सी के रूप में संस्था में जमा करना होगा।
5. चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा।

(फ) वेतन :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधको को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा।

(ग) यात्रा भत्ता :-

प्रबंधको को संघ द्वारा स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा।

प्रबंध संचालक,
जिला वनोपज सहकारी यूनि. मर्या.
महासमुंद वनमण्डल, महासमुन्द

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
महासमुन्द

स्व प्रमाणित फोटो

अ. आवेदित पदनाम :----------
ब. समिति का नाम :----------
1. आवेदक का नाम :----------
2. पिता/पति का नाम :----------
3. जन्म तिथि (अंको में) :----------
(शब्दों में) :----------
4. दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में आयु------- वर्ष----- माह---- दिन----
5. जाति वर्ग (अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)
6. स्थायी पता :----------
:----------
:----------
:----------
7. डाक व्यवहार का वर्तमान पता :----------
:----------
मोबाईल नं. :----------
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :----------
(हां नहीं) यदि हां तो प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)
9: लिंग (महिला/पुरुष) :----------
10. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि :----------
11. जीवित बच्चों की संख्या :----------
12. रोजगार कार्यालय का नाम :----------
जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक :----------
13. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./ संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	10वीं					
2	12वीं					
3	स्नातक					
4	कम्प्यूटर					

(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

14. यदि अभ्यर्थी के विरूध्द दाण्डिक प्रकरण किसी----------
पुलिस थाना न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय से निराकृत हो चुका है? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ।
15. यदि पूर्व से किसी संस्था में कार्यरत हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक.....दिनांक.....
16. तेन्दूपत्ता संग्रहण की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025	
संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या

(संग्रहण कार्ड एवं संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त बैंक स्टेटमेंट की स्पष्ट सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः-

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी। जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

दिनांकः----------
स्थान :----------

आवेदक के हस्ताक्षर

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पिय प्रश्नोत्तरी

1. छत्तीसगढ़ को 9 जुलाई 2025 को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है?
A. शिक्षा
B. खनन (डीएमएफ)
C. कृषि
D. सड़क निर्माण

2. धुड़मारास गांव को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया?
A. यूनेस्को
B. विश्व बैंक
C. संयुक्त राष्ट्र (UN)
D. डब्ल्यूटीओ

3. छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त का निधन किस अस्पताल में हुआ?
A. सफदरजंग अस्पताल
B. अपोलो अस्पताल
C. एम्स दिल्ली
D. मेदांता अस्पताल

4. शेखर दत्त का छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था?
A. 2008 – 2012
B. 2010 – 2014
C. 2006 – 2009
D. 2012 – 2016

5. शेखर दत्त किस बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी थे?
A. 1972
B. 1965
C. 1969
D. 1975

6. छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए किन गतिविधियों पर रोक लगाई है?
A. रीयल एस्टेट में निवेश
B. इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग
C. बैंक में खाता खोलना
D. म्यूचुअल फंड में निवेश

7. छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किया गया?
A. 12
B. 15
C. 18
D. 25

8. आईएनएस तमाल किस देश में निर्मित युद्धपोत है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है?
A. भारत
B. फ्रांस
C. रूस
D. अमेरिका

9. आईएनएस तमाल किस मिसाइल को दागने में सक्षम है?
A. अग्नि-5
B. नाग
C. ब्रह्मोस
D. अस्त्र

10. 'बैगलेस टी' तकनीक को कितने वर्षों के लिए पेटेंट स्वीकृत किया गया है?
A. 10 वर्ष
B. 15 वर्ष
C. 20 वर्ष
D. 25 वर्ष

11. सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी आरक्षण की नीति के तहत अनुसूचित जाति को पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा?
A. 10%
B. 12%
C. 15%
D. 18%

12. 'RailOne' ऐप के शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. ट्रेन की स्पीड बढ़ाना
B. रेलवे कर्मचारियों की भर्ती
C. सभी रेल सेवाएं एक जगह प्रदान करना
D. रेलवे टिकट सस्ता करना

13. केंद्र ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 25 में किस वाहन से सवारी की अनुमति दी है?
A. ट्रैक्टर
B. ऑटो रिक्शा
C. निजी मोटरसाइकिल
D. ट्रक

14. एयर मार्शल एस. शिवकुमार ने कौन सा पदभार ग्रहण किया है?
A. वायुसेना प्रमुख
B. एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
C. एयर ऑफिसर-इन-चार्ज प्रशासन
D. फाइटर कमांडर

15. भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं?
A. भावना कंठ
B. आस्था पुनिया
C. अवनी चतुर्वेदी
D. खुशबू चौधरी

16. अनंत टेक कौन सी सेवा 2028 से शुरू करने जा रही है?
A. अंतरिक्ष पर्यटन
B. सौर ऊर्जा वितरण
C. निजी सैटेलाइट इंटरनेट
D. अंतरिक्ष रॉकेट निर्माण

17. सरकारी बैंकों को अब शिक्षा ऋण की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी?
A. 30 दिन
B. 20 दिन
C. 10 दिन
D. 15 दिन

18. पनडुब्बी-रोधी रॉकेट प्रणाली (ERASR) का परीक्षण किस पोत से किया गया?
A. आईएनएस विक्रांत
B. आईएनएस कवरत्ती
C. आईएनएस अरिहंत
D. आईएनएस कोच्चि

19. पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टान किस देश में पाई गई है?
A. भारत
B. रूस
C. कनाडा
D. ऑस्ट्रेलिया

20. पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान की आयु कितनी अनुमानित की गई है?
A. 3.8 अरब वर्ष
B. 4.16 अरब वर्ष
C. 2.7 अरब वर्ष
D. 4.5 अरब वर्ष

21. भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉ. अनिल मेनन किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे?
A. 2025
B. 2026
C. 2027
D. 2028

22. डॉ. अनिल मेनन किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे?
A. नासा
B. इसरो
C. स्पेसएक्स
D. रोस्कॉसमॉस

23. हाल ही में खोजे गए नए डायनासोर का क्या नाम है?
A. डाइनोरेप्टर माइक्रोस्टेग
B. एनिग्माकर्सर मोलीबोर्थविके
C. वेलोसिरैप्टर मिनीसोरस
D. टायरोनोसारस लिटिलस

24. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सेवानिवृत्त होने की संभावित वर्ष कौन-सी बताई जा रही है?
A. 2025
B. 2026
C. 2027
D. 2028

25. एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी 'वत्सला' का निधन किस राज्य में हुआ?
A. केरल
B. ओडिशा
C. असम
D. मध्य प्रदेश

26. 'वत्सला' की अनुमानित आयु कितनी बताई गई है?
A. 60 वर्ष
B. 70 वर्ष
C. 90 वर्ष
D. 100 वर्ष से अधिक

27. श्रीलंका सरकार ने किस नए टर्मिनल कंपनी के गठन को स्वीकृति दी है?
A. कोलंबो वेस्ट टर्मिनल लिमिटेड
B. श्रीलंकन कंटेनर एजेंसी
C. कोलंबो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमि
D. साउथ एशियन पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स

28. आय समानता के मामले में भारत का कौन-सा स्थान है (विश्व बैंक रिपोर्ट अनुसार)?
A. पहला
B. दूसरा
C. तीसरा
D. चौथा

29. भारत का गिनी इंडेक्स स्कोर 2022-23 में कितना रहा?
A. 30.1
B. 28.8
C. 25.5
D. 23.9

30. विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता?
A. दीपिका
B. वरुण आनंद
C. साक्षी
D. योसलाइन पेरेज

31. साक्षी ने विश्व मुक्केबाजी कप के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता?
A. 48 किग्रा
B. 50 किग्रा
C. 52 किग्रा
D. 54 किग्रा

32. वरुण आनंद ने किस प्रतियोगिता में भारत के लिए तीन स्वर्ण पदक जीते?
A. एशियाई खेल
B. विश्व मुक्केबाजी कप
C. विश्व प्रत्यारोपण खेल
D. ओलंपिक

33. पोलिग्रास मैजिक स्किल अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है?
A. साक्षी
B. दीपिका (हॉकी खिलाड़ी)
C. शुभमन गिल
D. दीपिका पादुकोण

34. भारतीय महिला फुटबॉल टीम को एएफसी महिला एशियाई कप 2026 में क्वालीफाई करने पर कितनी धनराशि का इनाम मिला?
A. $20,000
B. $35,000
C. $50,000
D. $75,000

35. शुभमन गिल से पहले इंग्लैंड में दोहरा शतक किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया था?
A. विराट कोहली
B. सचिन तेंदुलकर
C. राहुल द्रविड़
D. रोहित शर्मा

36. हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री?
A. माधुरी दीक्षित
B. एश्वर्या राय
C. प्रियंका चोपड़ा
D. दीपिका पादुकोण

37. खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित होगा?
A. गोवा
B. मुंबई
C. कश्मीर
D. चेन्नई

38. बारसर में स्थित भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया?
A. कलचुरी वंश
B. छिंदक नागवंशी वंश
C. सोमवंशी वंश
D. गुप्त वंश

39. ऐती ओती जावत हे, धरे नई पावत हे यह का हे?
A. हवा
B. पानी
C. सपना
D. छाया

40 नानकुन टूरा, बुलक-बुलक के पार बाँधय यह का हे?
A. बटन
B. धागा
C. सुई धागा
D. कील

- **गीता प्रसाद,** कैरियर काउंसलर

Q&A-003

1	B	11	C	21	B	31	D
2	C	12	C	22	C	32	C
3	C	13	C	23	B	33	B
4	B	14	C	24	C	34	C
5	C	15	B	25	D	35	C
6	B	16	C	26	D	36	D
7	C	17	D	27	C	37	D
8	C	18	B	28	D	38	B
9	C	19	C	29	C	39	D
10	C	20	B	30	C	40	C

अस्वीकरण (Disclaimer) : इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए "रोजगार और नियोजन" जिम्मेदार नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ का
रजत जयंती वर्ष

बदला दौर, आई चेहरों पर खुशहाली की झलक

सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से हो रहा सकारात्मक सामाजिक- आर्थिक बदलाव

छत्तीसगढ़ राज्य इस वर्ष 2025 में अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ में अपनी सतत विकास यात्रा शुरू की। इस विकास यात्रा के दौरान कई चुनौतियां भी आईं। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद अब तेजी के साथ सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। राज्य में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और लोगों के चेहरे पर समृद्धि और खुशहाली की झलक भी नजर आने लगी है। सरकार ने सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण की ऐसी योजनाएं तैयार की हैं, जिनके प्रभाव से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों में से एक होगा। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने अनेक चुनौतियों के बावजूद सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य ने औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में संतुलित विकास करते हुए देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ को हरित विकास, डिजिटल नवाचार और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देते हुए और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की जरूरत है। यदि यही गति और समर्पण बना रहा, तो छत्तीसगढ़ "समृद्ध छत्तीसगढ़" की अवधारणा को साकार करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा।

सतत् विकास की राह

शिक्षा

सन् 2025
- शिक्षा सूचकांक: 0.520
- 32 हजार 461 प्राइमरी स्कूल
- महिला साक्षरता 70% से अधिक
- 09 शासकीय और 17 निजी विवि
- 15 मेडिकल कॉलेज

सन् 2000
- शिक्षा सूचकांक: 0.249
- प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सीमित, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी
- महिला साक्षरता 50% से कम
- उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कम

स्वास्थ्य

सन् 2025
- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.672
- शिशु मृत्यु दरः प्रति हजार जीवित जन्म पर 38

सन् 2000
- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.585
- शिशु मृत्यु दरः प्रति हजार जीवित जन्म पर 77
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर

उद्योग

सन् 2025
- औद्योगिक योगदानः 42.4%
- इस्पात, सीमेंट, बिजली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में
- बड़े औद्योगिक निवेश क्षेत्र का विस्तार और औद्योगिक पार्क स्थापित

सन् 2000
- औद्योगिक योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 30%
- प्रमुख रूप से खनन और इस्पात आधारित उद्योग
- सीमित निवेश व बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की कमी

रोजगार

सन् 2025
- बेरोजगारी दरः 2.4%
- महिला श्रम भागीदारी दरः 59.8%
- महिला समूह योजनाओं से रोजगार में वृद्धि
- कृषि के साथ उद्योग, आईटी, पर्यटन, सेवा क्षेत्र व स्वरोजगार में भी रोजगार के अवसर

सन् 2000
- बेरोजगारी दर लगभग 6%
- महिला श्रम भागीदारी दर 30%
- स्वरोजगार योजनाएं सीमित
- छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर आबादी सिर्फ खेती और पारंपरिक कामों पर निर्भर थी

कृषि

सन् 2025
- 21.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विस्तार
- सिंचाई नेटवर्क और खरीदी केंद्रों समेत उत्पादन तकनीक को बढ़ावा
- धान उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में

सन् 2000
- 13.28 लाख हेक्टेयर थी सिंचाई क्षमता
- सिंचाई के सीमित संसाधन, वर्षा पर निर्भरता ज्यादा, तकनीक की कमी
- कृषि कार्य हेतु बैल और पारंपरिक औजारों पर निर्भरता

25 वर्षों की विकास यात्रा

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब यह मध्यप्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। जनजातीय बहुल यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, सांस्कृतिक विविधता और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। अपने गठन के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। यह यात्रा राज्य की आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों का सजीव प्रमाण है।

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति

छत्तीसगढ़ ने बीते दो दशकों में आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। खनिज संसाधनों से समृद्ध यह राज्य देश की इस्पात, कोयला और बिजली उत्पादन में अग्रणी है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से भिलाई, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर जैसे शहरों में तेजी से प्रगति हुई है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति ने निवेशकों को आकर्षित किया है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राज्य के बजट का आकार कई गुना बढ़ा है जिससे अधोसंरचना और सामाजिक विकास में प्रगति आई है।

कृषि और ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है। कृषि इस राज्य की रीढ़ है और किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। बकाया धान बोनस भुगतान, ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, सौर सुजला योजना जैसी योजनाएं किसानों को समृद्धि की ओर ले जा रही हैं। इन योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। जल-संसाधनों के बेहतर उपयोग और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विद्यालयों के अधोसंरचना में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, पीएम श्री विद्यालय, छात्रवृत्ति योजनाएं और "शालाओं का युक्तियुक्तकरण" जैसे कदमों से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में मजबूती आई है और शहरों से लेकर गांवों तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से सुदूर इलाकों तक लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित हुई है।

सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास

छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल लगातार विस्तृत हो रहा है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सरकार की योजनाएं प्रभावी साबित हुई हैं। रेलवे, हवाई सेवा और नगरीय ढांचे में सुधार ने कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। रायपुर का नया रेल कॉरिडोर, रायपुर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे, रायपुर-धनबाद एक्सप्रेस वे नई सड़क परियोजना, जगदलपुर हवाई सेवा और बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना इसके उदाहरण हैं।

राज्य का बजट आकार
- 2001-02- 3,999 करोड़
- 2025-26- 1,65,000 करोड़

राज्य सकल घरेलू उत्पाद
- 2001-02- 25,845 करोड़
- 2025-26- 6,35,918 करोड़ (अनुमानित)

बेरोजगारी दर
- 2017-18- 3.5%
- 2025-26- 2.5%

शासकीय विद्यालय
- 2001-02- 38050
- 2024-25- 56615

शासकीय महाविद्यालय
- 2001-02- 116
- 2025-26- 335

शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या
- 2001-02- 21000
- 2024-25- 278605

घरेलू विद्युतीकरण
- 2001-02- 18 %
- 2025-26- 100 %

विश्वविद्यालय
- 2000 में 4
- 2025 में 26

जिला अस्पताल
- 2001-02- 6
- 2025-26- 30

राष्ट्रीय राजमार्ग
- 2001-02- 1810 किलोमीटर
- 2022-23- 3620.450 किलोमीटर

स्टेट हाईवे
- 2001-02- 2074 किलोमीटर
- 2025-26- 4310 किलोमीटर

ग्रामीण सड़क
- 2001-02- 28393 किलोमीटर
- 2022-23- 160116 किलोमीटर

सामाजिक- आर्थिक बदलाव लाने वाली योजनाएं

महतारी वंदन योजना
माताओं- बहनों को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता

तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक वृद्धि
तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा

चरण पादुका योजना
तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण

नियद नेल्ला नार योजना
बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंपों के समीप स्थापित 327 गांवों में तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समन्वित योजना कार्यक्रम

सौर सुजला योजना
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप की सहायता

बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण
आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए स्थापित विशेष प्राधिकरण

कृषक उन्नति योजना
किसानों पर फसल उत्पादन के लागत मूल्य का बोझ कम करने के लिए आदान सहायता

नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम
इस तीव्र अभियान के तहत पिछले 20 महीने के अंदर 450 से अधिक नक्सलियों को किया न्यूट्रलाइज, 1589 से अधिक ने किया आत्मसमर्पण

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो